

इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध संहिता

कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार के विनियमन, निगरानी और प्रतिवेदन के लिए आचार संहिता

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के लीक होने की स्थिति में जांच के लिए नीति एवं प्रक्रियाएं

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता एवं प्रक्रिया तथा "वैध उद्देश्य" के निर्धारण के लिए नीति

संस्करण - आर 4 नवंबर, 2023 से प्रभाव में
[सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार तथा निदेशक मंडल द्वारा 04 नवंबर,
2023 को आयोजित बैठक में अनुमोदित]

वेदांता लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: पहला तल, सी विंग, इकाई 103, कॉर्पोरेट एवेन्यू, अतुल प्रोजेक्ट्स, चकला, अंधेरी
(पूर्व), मुंबई - 400 093, महाराष्ट्र, भारत
सीआईएन: L13209MH1965PLC291394
वेबसाइट: www.vedantalimited.com

विषय-सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
भाग क - कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार के विनियमन, निगरानी और प्रतिवेदन के लिए आचार संहिता		
1.	पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं व्याख्या	04
2.	परिभाषाएं	05
3.	नामित व्यक्ति	07
4.	अंदरूनी व्यापार	08
5.	अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के संचार या प्राप्ति पर प्रतिबंध	09
6.	अंदरूनी व्यापार पर निषेध	09
7.	अंदरूनी व्यापार को रोकने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रक्रियाएं/तंत्र	10
8.	अंदरूनी व्यापार निगरानी समिति	13
9.	व्यापार की अवधि (ट्रेडिंग विंडो)	13
10.	नामित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग की पूर्व-मंजूरी	14
11.	होल्टिंग पीरियड/कॉन्ट्रा ट्रेड	16
12.	व्यापार नीति	16
13.	मिश्रित	17
14.	अनुपालन अधिकारी एवं प्रतिवेदन तंत्र की भूमिका/दायित्व	17
15.	प्रतिवेदन/प्रकटन आवश्यकताएं	18
16.	पीआईटी संहिता/सेबी विनियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना	19
17.	ज़िम्मेदारी	19
18.	प्रतिशोध और उत्पीड़न के विरुद्ध कर्मचारियों की सुरक्षा	19
19.	नीति की समीक्षा	20
20.	अधिनियम में संसोधन	20
21.	अस्वीकरण	20
22.	नामित व्यक्तियों के दायित्वों का सारांश/प्रकटनों का फॉर्म	20
भाग ख - अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के लीक होने की स्थिति में जांच के लिए नीति एवं प्रक्रियाएं		
1.	पृष्ठभूमि	22
2.	उद्देश्य	22
3.	जांच समिति	22

4.	यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध लीक की स्थिति में जांच के लिए प्रक्रिया	22
5.	जांच का परिणाम	23
6.	यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध लीक का प्रकटन	23
7.	अधिनियम में संशोधन	23
भाग ग - अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता एवं प्रक्रिया तथा "वैध उद्देश्य" के निर्धारण के लिए नीति		
1.	निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचरण के सिद्धांत	24
2.	"वैध उद्देश्य" के निर्धारण हेतु नीति	24
3	इस नीति में संशोधन	25
परिशिष्टों की सूची		
1.	परिणाम प्रबंधन के लिए प्रतिबंध ढांचा	26
2.	अनुबंध I - ट्रेडिंग की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन पत्र	27
3.	अनुबंध II क - पूर्व-मंजूरी आवेदन को मंजूरी देने वाले अनुपालन अधिकारी से अनुमोदन	29
4.	अनुबंध II ख - अनुपालन अधिकारी द्वारा पूर्व-मंजूरी आवेदन को अस्वीकार करना	30
5.	अनुबंध III - लेन-देन के प्रकटन के लिए फॉर्म	31
6.	अनुबंध IV - वार्षिक ट्रेडिंग योजना के लिए आवेदन	32
7.	अनुबंध V क - निदेशकों/केएमपी/एसएमपी/प्रमोटर्स द्वारा प्रारंभिक प्रकटीकरण के लिए फॉर्म ख	33
8.	अनुबंध V ख - अन्य नामित व्यक्तियों द्वारा प्रारंभिक प्रकटन फॉर्म	34
9.	अनुबंध VI - निरंतर प्रकटीकरण के लिए फॉर्म ग	35
10.	अनुबंध VII - वार्षिक प्रकटन का फॉर्म	37
11.	अनुबंध VIII - कंपनी द्वारा चिह्नित अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा किए गए लेन-देन के लिए फॉर्म घ	38
12.	अनुबंध IX - 'संबद्ध' की परिभाषा	40
13.	अनुबंध X - सेबी को यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध लीक का प्रतिवेदन करने का प्रारूप	41

वेदांता लिमिटेड

भाग क

कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार विनियमन, निगरानी और प्रतिवेदन के लिए आचार संहिता ("कोड")

1. पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं व्याख्या

प्रतिभूति अधिनियम का पालन करने और वेदांता लिमिटेड ("कंपनी") तथा इससे जुड़े सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और अखंडता को बनाए रखने के लिए अंदरूनी व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) को रोकना आवश्यक है। "इनसाइडर ट्रेडिंग" तब हो सकती है, जब कोई भी व्यक्ति कंपनी की प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित अंदरूनी जानकारी रखते हुए किसी भी प्रतिभूतियों में सब्सक्राइब करता है, खरीदता है, बेचता है, सौदा करता है या सब्सक्राइब करने, खरीदने, बेचने, सौदा करने के लिए सहमत होता है। जैसा कि संहिता में आगे बताया गया है, "अंदरूनी सूचना" किसी ऐसी कंपनी से संबंधित जानकारी है, जो सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है या इसकी प्रतिभूतियां हैं, जिन्हें "मूल्य संवेदनशील" और "सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं" दोनों माना जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग भारत में मौजूदा अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") ने सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया है और यह भारत में अंदरूनी व्यापार से संबंधित अधिनियम को नियंत्रित करता है।

यह संहिता, सेबी पीआईटी विनियमों का अनुपालन करने के लिए नामित व्यक्तियों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और प्रतिवेदित करने के लिए तैयार की गई है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। यह संहिता, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई है कि नामित व्यक्ति अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना ("यूपीएसआई") का लाभ उठाते हुए कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार न करें और नामित व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार का सट्टा लेनदेन न किया जाए। यह, कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार के समय अपनाई जाने वाली नीति, पूर्व-मंजूरी/प्रकटीकरण प्रक्रियाओं पर नामित व्यक्तियों को मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

कंपनी किसी भी प्रकार के अंदरूनी व्यापार या इसी प्रकार के प्रतिभूति संबंधी गैर-अधिनियमी व्यापार पद्धतियों को बर्दाश्त नहीं करती है।

इसके अलावा, कंपनी ने "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के लीक होने की स्थिति में जांच के लिए नीति और प्रक्रियाएं" तथा "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता और प्रक्रियाएं तथा वैध उद्देश्य के निर्धारण के लिए नीति" (जिसे आगे "निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता" कहा जाएगा) को अपनाया है, जिनका अनुपालन वह सेबी (पीआईटी) विनियमों की अनुसूची-क में निर्धारित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए करती है।

संदर्भ

इस संहिता को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के साथ संदर्भित किया जाना चाहिए:

- सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम 2015, समय-समय पर संशोधित;
- कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान, समय-समय पर संशोधित; और
- कंपनी की व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता।

व्याख्या

इस नीति/संहिता में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 ("सेबी पीआईटी विनियम"), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम"), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("अधिनियम"), प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 ("आईसीडीआर विनियम"), डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 या कंपनी अधिनियम, 2013 या कंपनी पर लागू कोई अन्य प्रासंगिक अधिनियम/अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम और विनियमन और समय-समय पर संशोधित, में मौजूद होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नीचे धारा 2 में परिभाषित बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्दों का इस संहिता में छोटे अक्षरों में प्रयोग किए जाने पर वही अर्थ होगा, जो उन्हें दिया गया है।

इस संहिता को केवल कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा ही रूपांतरित/परिवर्तित/संशोधित किया जा सकता है।

सेबी पीआईटी विनियमों के प्रावधानों में किसी भी वैधानिक संशोधन या संशोधन के मामले में, उक्त विनियमों के रूपांतरित/संशोधित प्रावधानों को रूपांतरण या संशोधन आदि के लिए वैधानिक अधिसूचना की तिथि से तत्काल प्रभाव के साथ संहिता में लागू माना जाएगा।

कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता

यह संहिता कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने वाले सभी अंदरूनी लोगों (इनसाइडर) पर लागू होती है। प्रत्येक अंदरूनी व्यक्ति को इस संहिता की समीक्षा करनी चाहिए और उसका अनुपालन करना चाहिए।

इस संहिता से संबंधित प्रश्नों के बारे में अनुपालन अधिकारी से ई-मेल आईडी compliance.officer@vedanta.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

2. परिभाषाएं

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 से है।

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल से है।

(ग) "कोड" का तात्पर्य कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और प्रतिवेदित करने के लिए आचार संहिता से है।

(घ) "कंपनी" से तात्पर्य वेदांता लिमिटेड से है।

(ङ) "अनुपालन अधिकारी" का तात्पर्य कंपनी के कंपनी सचिव या कंपनी के किसी वरिष्ठ अधिकारी से है, जिसे सेबी (पीआईटी) विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नामित किया गया हो।

(च) "संबद्ध व्यक्ति" का अर्थ सेबी पीआईटी विनियमों में परिभाषित है।

टिप्पणी: किसी "संबद्ध व्यक्ति" का तत्काल रिश्तेदार भी सेबी पीआईटी विनियमों के प्रयोजन के लिए संबद्ध व्यक्ति बन जाएगा, जब तक कि इसका खंडन न किया जाए।

(छ) "कॉन्ट्रा ट्रेड" का अर्थ है, ऐसा व्यापार या लेन-देन, जिसमें कंपनी की किसी भी संख्या में प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री शामिल हो और 6 महीने के भीतर पूर्ववर्ती लेन-देन के बाद बिक्री या खरीद से संबंधित विपरीत लेन-देन में व्यापार या लेन-देन किया जाए।

(ज) "नामित व्यक्ति" का अर्थ इस संहिता की धारा 3 (नामित व्यक्ति) के अनुच्छेद 2 में दिया गया है।

(झ) "सामान्य रूप से उपलब्ध जानकारी" से तात्पर्य ऐसी जानकारी से है, जो जनता के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सुलभ हो।

टिप्पणी: स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना को सामान्यतः उपलब्ध माना जाएगा।

(क) "निकटतम रिश्तेदार" का तात्पर्य किसी व्यक्ति के जीवनसाथी से है और इसमें ऐसे व्यक्ति या जीवनसाथी के माता-पिता, भाई-बहन और बच्चे शामिल हैं, जिनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर है या प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में ऐसे व्यक्ति से परामर्श करता है।

टिप्पणी: यदि जीवनसाथी आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और ट्रेडिंग संबंधी निर्णय लेते समय किसी इनसाइडर से सलाह नहीं लेता है तो जीवनसाथी को निकटतम रिश्तेदार की परिभाषा से छूट नहीं दी जाएगी। जीवनसाथी को "निकटतम रिश्तेदार" माना जाता है, जब तक कि इसका खंडन न किया जाए।

(ख) "इनसाइडर" का अर्थ है, कोई भी व्यक्ति जो:

- ❖ इस संहिता की धारा 3 में परिभाषित नामित व्यक्ति;
- ❖ ऊपर परिभाषित नामित व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदार;
- ❖ कोई संबद्ध व्यक्ति; या
- ❖ यूपीएसआई पर कब्जा या उस तक पहुंच रखने वाला व्यक्ति, जिसमें वैध उद्देश्य के आधार पर ऐसी सूचना तक पहुंच रखने वाला व्यक्ति भी शामिल है; या
- ❖ ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनके पास अनुपालन अधिकारी की राय में यूपीएसआई है; या
- ❖ कोई अन्य व्यक्ति, जिसे लागू सेबी विनियमों के अनुसार इनसाइडर की परिभाषा के दायरे में शामिल किया जा सकता है या जिसे कंपनी के अनुपालन अधिकारी की राय में इनसाइडर की श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक ("केएमपी")" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) में परिभाषित व्यक्ति से है।

(ग) "जानने की आवश्यकता" का अर्थ यह होगा कि नामित व्यक्ति जो यूपीएसआई के बारे में जानकारी रखते हैं, वे इसे "जानने की आवश्यकता" के आधार पर सख्ती से संभालेंगे। इसका मतलब यह है कि यूपीएसआई का खुलासा केवल उन व्यक्तियों को किया जाएगा, जिन्हें वैध उद्देश्य के लिए इसे जानने की आवश्यकता है और जिनके पास यूपीएसआई होने से किसी भी तरह से हितों के टकराव या सूचना के दुरुपयोग की संभावना नहीं होगी।

(घ) "प्रमोटर/प्रमोटर समूह" का अर्थ सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018, या उसके किसी संशोधन के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ङ) "प्रतिभूतियों" का अर्थ एससीआरए या उसके किसी संशोधन के तहत निर्दिष्ट किया गया अर्थ होगा।

(च) "वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक (एसएमपी)" से तात्पर्य सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 16(1)(घ) के तहत परिभाषित व्यक्ति से है।

(छ) "अधिग्रहण विनियम" का तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 और उसके किसी भी संशोधन से है।

(ज) "ट्रेड" का अर्थ है और इसमें कंपनी की किसी भी प्रतिभूतियों में सदस्यता लेना, खरीदना, बेचना, सौदा करना या सदस्यता लेने, खरीदने, बेचने, सौदा करने के लिए सहमत होना शामिल है और "ट्रेड" को तदनुसार समझा जाएगा।

ट्रेडिंग शब्द का व्यापक अर्थ प्रतिभूतियों में लेन-देन करना है तथा इसका उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) पर आधारित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, जिसमें खरीद, बिक्री या सदस्यता जैसे गिरवी रखना आदि शामिल नहीं हैं। अतएव, ट्रेडिंग में गिरवी रखना/खरीदना/निरस्त करना शामिल होगा।

(झ) "ट्रेडिंग दिवस" से तात्पर्य उस दिन से है, जिस दिन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए खुले हों।

(ञ) "ट्रेडिंग विंडो" का अर्थ है, नो-ट्रेडिंग अवधि/बंद अवधि/ट्रेडिंग विंडो बंद अवधि के अलावा अन्य अवधि।

(ट) "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना ("यूपीएसआई")" का अर्थ है, कंपनी या उसकी प्रतिभूतियों से संबंधित कोई भी सूचना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो आम तौर पर उपलब्ध नहीं है, जिसके आम तौर पर उपलब्ध होने पर प्रतिभूतियों की कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित होने की संभावना हो और इसमें आमतौर पर निम्नलिखित से संबंधित सूचना शामिल होगी, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होगी:

- ❖ वित्तीय परिणाम;
- ❖ लाभांश;
- ❖ पूंजी संरचना में परिवर्तन;
- ❖ मर्जर (विलय), डी-मर्जर, अधिग्रहण, डीलिस्टिंग, निपटान और व्यवसाय का विस्तार और ऐसे अन्य लेन-देन;
- ❖ केएमपी में परिवर्तन; और
- ❖ कंपनी/अनुपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित कोई अन्य घटना, जिसके सार्वजनिक डोमेन में आने पर कंपनी की प्रतिभूतियों की कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

3. नामित व्यक्ति

(क) अनुपालन अधिकारी द्वारा बोर्ड के परामर्श से, उनकी भूमिका और कार्य के आधार पर नामित व्यक्तियों की पहचान की जाएगी।

(ख) नामित व्यक्ति का तात्पर्य और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. कंपनी के सभी प्रमोटर और प्रमोटर समूह के सदस्य;
- ii. कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी और इसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक;
- iii. उपरोक्त बिन्दु ii में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति के कार्यकारी सहायक/निजी सहायक/सचिव।
- iv. वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, एक सूचीबद्ध सहायक कंपनी (वेदांता लिमिटेड के

मुंबई, गुडगांव, दिल्ली और लंदन कॉर्पोरेट कार्यालय और एचजेडएल का उदयपुर कॉर्पोरेट कार्यालय) के निम्नलिखित विभागों के सभी कर्मचारी - जिन्हें यूपीएसआई से संबंधित माना जाता है:

- कोषागार
 - कॉर्पोरेट वित्त, जिसमें वित्तीय प्रतिवेदन (एफआर) एवं वित्तीय योजना और विश्लेषण (एफपी एंड ए) शामिल हैं
 - कराधान
 - विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए)
 - कॉर्पोरेट संचार
 - प्रबंधन आश्वासन प्रणाली (एमएसएस)
 - निवेशक संबंध (आईआर)
 - कॉर्पोरेट कार्यनीति
 - वाणिज्यिक
 - सचिवीय
 - विधिक
 - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)
 - मानव संसाधन (एचआर)
 - पॉलिसी एडवोकेसी
 - एचएसई
- v. बिंदु iv पर ऊपर उल्लिखित कर्मचारियों के अलावा, वीड्डीएल समूह के एम2 (एवीपी) और उससे ऊपर के ग्रेड के कर्मचारी।
- vi. ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसके पास अनुपालन अधिकारी की राय में यूपीएसआई है।
- vii. कोई अन्य व्यक्ति, जिसे बोर्ड/अनुपालन अधिकारी द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर कंपनी में उनकी भूमिका और कार्य तथा ऐसी भूमिका और कार्य की यूपीएसआई तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- viii. कंपनी का कोई भी सहायक कर्मचारी, जिसे बोर्ड/अनुपालन अधिकारी द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, जैसे कि आईटी कर्मचारी, सचिवीय कर्मचारी, आदि, जिनकी यूपीएसआई तक पहुंच है। ऊपर परिभाषित नामित व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदार।

(ग) नामित व्यक्ति को नाम, पैन और अन्य जानकारी वार्षिक आधार पर प्रकट करनी होगी और जब भी जानकारी में परिवर्तन होगा, उसे प्रकट करना होगा:

- i. निकटतम रिश्तेदार
- ii. ऐसे व्यक्ति, जिनके साथ ऐसे नामित व्यक्ति का भौतिक वित्तीय संबंध है; और
- iii. उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले मोबाइल नम्बर।

इसके अतिरिक्त, जिन शैक्षणिक संस्थानों से नामित व्यक्तियों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उनके नाम तथा उनके पूर्व नियोक्ताओं के नाम भी एक बार में प्रकट किए जाएंगे।

4. इनसाइडर ट्रेडिंग

“इनसाइडर ट्रेडिंग” मुख्य रूप से प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग करने का कार्य है, जिसमें यूपीएसआई तक असममित पहुँच का लाभ होता है, जो प्रकाशित होने पर, बाजार में कंपनी की प्रतिभूतियों की कीमत को प्रभावित करेगा।

सेबी पीआईटी विनियमों के तहत ‘ट्रेडिंग’ की परिभाषा व्यापक है, और इसमें अन्य बातों के अलावा, सदस्यता लेना, खरीदना, बेचना, सौदा करना या इनमें से कोई भी काम करने के लिए सहमत होना शामिल है। इसके अलावा, यूपीएसआई का लाभ उठाते हुए कंपनी की प्रतिभूतियों को गिरवी रखना भी ‘ट्रेडिंग’ के रूप में माना जाएगा।

आमतौर पर यह समझा जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ❖ नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों सहित अंदरूनी लोगों द्वारा व्यापार करना, जबकि उनके पास यूपीएसआई हो या उस तक उनकी पहुँच हो, भले ही किसी के पास ऐसी जानकारी कैसे आई हो या उस तक उनकी पहुँच कैसे हुई हो; या
- ❖ यूपीएसआई के बारे में दूसरों को जानकारी देना, प्रदान करना, पहुँच की अनुमति देना या सूचित करना, जिसमें कंपनी की प्रतिभूतियों में किसी भी व्यापार की सिफारिश करना शामिल है, जबकि ऐसी जानकारी आपके पास हो या उस तक आपकी पहुँच हो।

नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों की ओर से पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा व्यापार करना भी इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाता है और इसलिए, नामित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के माध्यम से कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करते समय उचित सावधानी बरतें।

इनसाइडर का अपनी कंपनी और उसके शेयरधारकों के प्रति स्वतंत्र प्रत्ययी कर्तव्य है कि वे कंपनी की प्रतिभूतियों से संबंधित यूपीएसआई का लाभ उठाकर व्यापार न करें। कंपनी के सभी निदेशकों और कर्मचारियों को कंपनी के व्यवसाय, गतिविधियों और प्रतिभूतियों संबंधित यूपीएसआई के संबंध में खुद को इनसाइडर के रूप में मानना चाहिए। निदेशक और कर्मचारी कंपनी से संबंधित यूपीएसआई का लाभ उठाते हुए कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेंगे और न ही ऐसी जानकारी दूसरों को बताएंगे (न ही संवाद करेंगे, न ही प्रदान करेंगे या पहुँच की अनुमति देंगे, सिवाय वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन के लिए जानने की आवश्यकता के आधार पर)।

जब कोई व्यक्ति यूपीएसआई का लाभ उठाते हुए प्रतिभूतियों में व्यापार करता है तो उसके व्यापार को उसके पास मौजूद ऐसी जानकारी के ज्ञान और जागरूकता से प्रेरित माना जाएगा।

5. अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के संचार या प्राप्ति पर प्रतिबंध

(क) नामित व्यक्तियों सहित सभी अंदरूनी लोग सभी प्रकार की यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखेंगे और निम्नलिखित कार्य नहीं करेंगे:

- i. कंपनी या उसकी प्रतिभूतियों (सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित) से संबंधित किसी भी यूपीएसआई तक, अन्य अंदरूनी लोगों सहित किसी भी व्यक्ति को संचारित करना, प्रदान करना या पहुंच की अनुमति देना, सिवाय इसके कि ऐसा संचार वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन के लिए हो;
- ii. वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के निष्पादन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन को छोड़कर कंपनी या उसकी प्रतिभूतियों (सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित) से संबंधित यूपीएसआई के किसी अंदरूनी सूत्र से संचार प्राप्त करना या उसका कारण बनना; तथा
- iii. कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए सिफारिश करने के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी देना।

(ख) कंपनी के भीतर सभी प्रकार की सूचनाओं को "जानने की आवश्यकता" के आधार पर अनुरक्षित किया जाना चाहिए। किसी भी यूपीएसआई को केवल बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार वैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कर्तव्यों और कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रकट किया जाना चाहिए और जिनके पास ऐसी जानकारी होने से हितों का टकराव या सूचना का दुरुपयोग नहीं होगा।

(ग) किसी वैध उद्देश्य के लिए यूपीएसआई प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस संहिता के प्रयोजन के लिए "अंदरूनी व्यक्ति" माना जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को इस संहिता के अनुपालन में ऐसे यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित नोटिस दिया जाएगा।

(घ) यूपीएसआई को किसी लेन-देन के संबंध में सूचित किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है, उस तक पहुंच की अनुमति दी जा सकती है या उसे प्राप्त किया जा सकता है, जो कि:

- i. अधिग्रहण विनियमों के अंतर्गत खुली पेशकश करने का दायित्व शामिल है, जहां कंपनी के बोर्ड की यह राय है कि ऐसी जानकारी साझा करना कंपनी के सर्वोत्तम हित में है;
- ii. अधिग्रहण विनियमों के तहत खुली पेशकश करने की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन जहां कंपनी के बोर्ड की यह सूचित राय है कि ऐसी जानकारी को साझा करना कंपनी के सर्वोत्तम हित में है और यूपीएसआई का गठन करने वाली सूचना को प्रस्तावित लेन-देन से कम से कम 2 (दो) ट्रेडिंग दिवस पहले आम तौर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रसारित किया जाता है, ऐसे रूप में जिसे कंपनी के निदेशक मंडल सभी प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों को कवर करने के लिए पर्याप्त और उचित मान सकते हैं।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, कंपनी का बोर्ड ऐसे लेन-देन के पक्षों से अनुबंध गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण दायित्वों के लिए समझौतों को निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा और ऐसे पक्ष इस खंड (घ) के प्रयोजन को छोड़कर, इस प्रकार प्राप्त सूचना को गोपनीय रखेंगे और यूपीएसआई का लाभ उठाते हुए कंपनी की प्रतिभूतियों में अन्यथा व्यापार नहीं करेंगे।

6. इनसाइडर ट्रेडिंग पर निषेध

(क) नामित व्यक्तियों सहित सभी अंदरूनी लोग (इनसाइडर) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित कार्य नहीं करेंगे:

- i. यूपीएसआई का लाभ उठाते हुए कंपनी की उन प्रतिभूतियों में व्यापार करना, जो सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं।
- ii. जब ट्रेडिंग विंडो बंद हो तो कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करना।
- iii. यूपीएसआई का लाभ उठाते हुए कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने पर किसी तीसरे पक्ष को सलाह/युक्तियां प्रदान करना।

iv. कंपनी की प्रतिभूतियों में व्युत्पन्न लेन-देन में अपनी जगह बनाना।

उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

- ❖ एक ऐसा लेन-देन, जो सेबी पीआईटी विनियमों का उल्लंघन किए बिना एक ही यूपीएसआई रखने वाले अंदरूनी लोगों के बीच बाजार से बाहर आपसी अंतरण है और जिसमें दोनों पक्षों ने एक सचेत और सूचित व्यापार निर्णय लिया था।
- ❖ सेबी पीआईटी विनियमों का उल्लंघन किए बिना यूपीएसआई रखने वाले व्यक्तियों के बीच ब्लॉक डील विंडो तंत्र के माध्यम से किया गया एक लेन-देन हो और जिसमें दोनों पक्षों ने एक सचेत और सूचित व्यापार निर्णय लिया था।
- ❖ एक लेन-देन, जो एक वैधानिक या नियामक दायित्व के अनुसरण में एक वास्तविक लेन-देन करने के लिए किया गया है।
- ❖ स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के अनुसरण में किया गया एक लेन-देन जिसके संबंध में प्रयोग मूल्य, लागू विनियमों के अनुपालन में पूर्व निर्धारित किया गया था।
- ❖ इस संहिता और सेबी पीआईटी विनियमों के अनुसार अनुमोदित ट्रेडिंग योजना के अनुसरण में निष्पादित ट्रेड।

(ख) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कंपनी से संबद्ध होना बंद कर चुका है, वह किसी भी यूपीएसआई का लाभ उठाते हुए, ऐसी समाप्ति की तिथि से 6 महीने की अवधि तक कंपनी की प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार नहीं करेगा।

जब कोई व्यक्ति यूपीएसआई का लाभ उठाते हुए कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करता है, तो यह माना जाएगा कि उसके व्यापार उसके पास मौजूद ऐसी सूचना के ज्ञान और जागरूकता से प्रेरित थे।

7. कंपनी द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं/तंत्र अपनाए गए हैं

कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं स्थापित की हैं और कंपनी द्वारा इनका रखरखाव और प्रवर्तन किया जाएगा। प्रत्येक नामित कर्मचारी के लिए प्रक्रियाओं का अनुपालन आवश्यक है:

(क) यूपीएसआई तक पहुंच पर प्रतिबंध

❖ सूचना तक पहुंच:

कंपनी के व्यवसाय, आय या संभावनाओं, पूंजी जुटाने आदि से संबंधित यूपीएसआई के साथ काम करते समय, कंपनी/अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि यूपीएसआई का कोई भी खुलासा केवल आवश्यकता के आधार पर होगा और वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के निष्पादन या कानूनी दायित्व के निर्वहन के अतिरिक्त यूपीएसआई का कोई संचार नहीं होगा।

नामित व्यक्ति यूपीएसआई के साथ उचित देखभाल करने के लिए बाध्य हैं और यूपीएसआई की प्राप्ति के स्रोत की परवाह किए बिना यूपीएसआई की सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है। नामित व्यक्ति यूपीएसआई का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए करेंगे और किसी व्यक्तिगत लाभ/किसी नुकसान से बचने/लागू अधिनियम के उल्लंघन के लिए नहीं।

❖ थर्ड पार्टी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न

कंपनी के बारे में थर्ड पार्टी जैसे विश्लेषकों या मीडिया के सदस्यों द्वारा पूछे जाने प्रश्नों को आंतरिक नीति के अनुसार निर्देशित/संचालित किया जाना चाहिए।

(ख) यूपीएसआई तक पहुंच की सीमाएं

यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं:

- ❖ नामित व्यक्तियों को अन्य बातों के अलावा, यूपीएसआई तक पहुंच को प्रतिबंधित करने और उसे सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए और सावधानियां बरतनी चाहिए:
 - (क) यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखना।
 - (ख) अपने व्यवसाय/पेशे और व्यक्तिगत/सामाजिक गतिविधियों का संचालन इस प्रकार करें कि अनजाने में यूपीएसआई का खुलासा होने का जोखिम न हो।
 - (ग) सार्वजनिक स्थानों पर गोपनीय दस्तावेजों की समीक्षा प्रतिबंधित की जानी चाहिए ताकि अनधिकृत व्यक्तियों की यूपीएसआई तक पहुंच को रोका जा सके।
- ❖ यूपीएसआई वाले दस्तावेजों और फाइलों (कम्प्यूटर फाइलों सहित) तक पहुंच को केवल आवश्यकता के आधार पर व्यक्तियों तक सीमित करना (जिसमें दस्तावेजों और दस्तावेजों के प्रारूपों के वितरण पर नियंत्रण बनाए रखना शामिल है)।
- ❖ यूपीएसआई वाली फाइलों को प्रतिबंधित पहुंच के साथ सुरक्षित रखा जाएगा तथा यूपीएसआई वाली कंप्यूटर फाइलों को लॉगिन, पासवर्ड आदि की सहायता से संरक्षित किया जाना चाहिए। यूपीएसआई की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त भौतिक और सूचनात्मक अवरोध लगाए जाएंगे।
- ❖ किसी भी बैठक के समापन के बाद सम्मेलन कक्षों से यूपीएसआई युक्त सभी गोपनीय दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों को तुरंत हटाना और साफ करना।
- ❖ जब कोई व्यावसायिक या अन्य विधिक आवश्यकता न रह जाए तो सभी गोपनीय दस्तावेजों और यूपीएसआई युक्त अन्य दस्तावेजों का निपटान, जहां भी उचित हो, श्रेडर के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- ❖ गोपनीय दस्तावेजों या यूपीएसआई रखने की संभावना वाले क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना।
- ❖ ऐसी जगहों पर यूपीएसआई से संबंधित किसी भी चर्चा से बचें, जहां जानकारी दूसरों द्वारा सुनी जा सकती हो, जैसे कि लिफ्ट, शौचालय, हॉलवे, रेस्तरां, हवाई जहाज या टैक्सी कैब आदि।
- ❖ यूपीएसआई रखने वाले या उस तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों को, जहाँ तक संभव हो, अपना व्यवसाय और अन्य गतिविधियां अन्य कंपनी गतिविधियों से अलग क्षेत्रों में संचालित करनी चाहिए, ताकि यूपीएसआई के किसी भी लीक से बचा जा सके।

(ग) चाइनीज वॉल प्रक्रियाएँ

- ❖ संहिता के अनुसार, नामित व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाता है, जिनकी यूपीएसआई तक पहुंच है या जिनकी यूपीएसआई तक पहुंच होने की संभावना है।
- ❖ यूपीएसआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए, कंपनी "चाइनीज वॉल" बनाए रखेगी और परिसर को आंतरिक क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्रों में विभाजित करेगी। आंतरिक क्षेत्रों से तात्पर्य कंपनी के उन क्षेत्रों और विभागों से है, जहां यूपीएसआई आमतौर पर उपलब्ध हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्रों से

तात्पर्य उन क्षेत्रों से है, जहां कोई भी यूपीएसआई आमतौर पर उपलब्ध नहीं होता है और जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।

- ❖ अंदरूनी क्षेत्रों में सामान्य रूप से केवल नामित व्यक्तियों के लिए ही पहुंच होगी। अंदरूनी क्षेत्र में नामित व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में किसी को भी यूपीएसआई के बारे में नहीं बताएंगे। इसके अलावा, नामित व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से अलग रखा जाना चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को "ओवर द वॉल" लाया जा सकता है और अनुपालन अधिकारी को सूचित करते हुए "जानने की आवश्यकता" मानदंडों के आधार पर गोपनीय जानकारी दी जा सकती है।
- ❖ जहां कहीं भी किसी नामित व्यक्ति द्वारा किसी अन्य कर्मचारी/बाह्य तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) आदि के साथ वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के निष्पादन या अपने विधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए यूपीएसआई साझा करने की आवश्यकता होती है तो जिस व्यक्ति के साथ ऐसी जानकारी साझा करने का प्रस्ताव है, उसे नीचे दी गई वॉल-क्रॉसिंग प्रक्रिया के माध्यम से "वॉल-क्रॉस" कराया जाएगा।

वॉल-क्रॉसिंग की प्रक्रिया

यदि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए यूपीएसआई तक पहुंच प्राप्त करने के लिए वॉल-क्रॉस की आवश्यकता होती है अर्थात् उसे चाइनीज वॉल क्रॉस करानी है तो अनुपालन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। अनुपालन अधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि जिस व्यक्ति को वॉल क्रॉस कराने की आवश्यकता है, उसे यूपीएसआई प्रदान की जा रही है या नहीं। इसके अलावा, ऐसे वॉल क्रॉस करने वाले व्यक्ति के साथ साझा की जाने वाली यूपीएसआई उस विशिष्ट लेन-देन या उद्देश्य तक सीमित होनी चाहिए, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है।

- ❖ जिन व्यक्तियों को यूपीएसआई प्राप्त हुई है, उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि उन्हें इस संहिता के अंतर्गत 'नामित व्यक्ति' और 'अंदरूनी व्यक्ति (इनसाइडर)' माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप, ऐसे व्यक्तियों को संहिता और सेबी विनियमों के सभी लागू प्रावधानों का पालन करना होगा, जब तक कि ऐसी जानकारी यूपीएसआई के अंतर्गत हो।
- ❖ सभी वॉल क्रॉसिंग के उचित रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा, अनुपालन अधिकारी को ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार उन सभी मामलों के संबंध में सूचित किया जाएगा, जहां किसी व्यक्ति को वॉल क्रॉस कराई गई है (ऐसी वॉल क्रॉसिंग के समय) ताकि अनुपालन अधिकारी इस संबंध में उचित रिकॉर्ड तैयार कर सकें।

(घ) यूपीएसआई के प्राप्तकर्ता को कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की सूचना

यूपीएसआई का कोई भी प्राप्तकर्ता इस संहिता के प्रयोजनों के लिए 'नामित व्यक्ति' और 'अंदरूनी व्यक्ति' माना जाएगा। तदनुसार, ऐसे व्यक्ति:

- ❖ गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण दायित्वों को पूरा करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करें।
- ❖ इस प्रकार प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखें।
- ❖ केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए यूपीएसआई का उपयोग करें।
- ❖ अन्यथा यूपीएसआई रखने या उस तक पहुंच होने पर कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार न करें।

(ड) यूपीएसआई प्राप्तकर्ता का संरचित डिजिटल डेटाबेस

सेबी पीआईटी विनियमनों के विनियमन 5 के तहत आवश्यक रूप से, निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत अनुपालन अधिकारी, ऐसे व्यक्तियों का एक संरचित डिजिटल डेटाबेस बनाए रखेगा, जैसा भी मामला हो, जिनके साथ यूपीएसआई साझा किया जाता है, साथ ही प्राप्तकर्ताओं से संबंधित निम्नलिखित जानकारी भी:

- ❖ यूपीएसआई के ऐसे प्राप्तकर्ता का नाम
- ❖ संगठन या संस्था का नाम, जिसका प्राप्तकर्ता प्रतिनिधित्व करता है
- ❖ ऐसे प्राप्तकर्ता का डाक पता और ई-मेल आई.डी.
- ❖ स्थायी खाता संख्या (पैन) या कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता, यदि पैन उपलब्ध नहीं है।

ऐसे डेटाबेस को समय-समय पर सेबी पीआईटी विनियमों के अनुसार बनाए रखा जाएगा, जिसमें पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जांच जैसे कि टाइम स्टैम्पिंग और ऑडिट ट्रेल्स शामिल होंगे, ताकि ऐसे डेटाबेस से छेड़छाड़ न की जा सके।

(घ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

इस संहिता और सेबी पीआईटी विनियमों में दी गई आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त और प्रभावी प्रणाली होगी ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जा सके। आंतरिक नियंत्रण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- ❖ ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना, जिनकी यूपीएसआई तक पहुंच है या जिनकी यूपीएसआई तक पहुँच होने की संभावना है, उन्हें नामित व्यक्ति के रूप में चिह्नित करना।
- ❖ यूपीएसआई की पहचान करना और लागू कानूनों के तहत इसकी गोपनीयता बनाए रखना।
- ❖ यूपीएसआई के संचार या खरीद पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाना।
- ❖ उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाए रखना, जिनके साथ यूपीएसआई साझा किया जाता है और उन्हें संहिता के तहत उनकी गोपनीयता और अन्य दायित्वों के बारे में जागरूक करना।
- ❖ उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए लागू किए गए उपायों और आंतरिक नियंत्रणों की समय-समय पर समीक्षा करना।

8. इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमेटी ("आईटीएमसी")

इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमेटी ("आईटीएमसी") में निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:

- (क) समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी ("सीएफओ")
- (ख) समूह मुख्य मानव संसाधन अधिकारी ("सीएचआरओ")
- (ग) कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी ("सीएस")

सीएफओ समिति के अध्यक्ष होंगे और सीएस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

आईटीएमसी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

- ❖ संहिता का समग्र प्रशासन;
- ❖ यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध लीक तथा संहिता के अन्य उल्लंघनों के मामले में पूछताछ/जांच करना;
- ❖ संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए नामित व्यक्तियों पर लगाए जाने वाले दंडात्मक परिणामों पर

निर्णय लेना;

- ❖ संहिता के ऐसे उल्लंघन के लिए दंडात्मक परिणामों को क्षमा करना, जो सेबी विनियमों के उल्लंघन के बराबर नहीं हैं;
- ❖ प्रतिवेदन आवश्यकताओं का अनुपालन;
- ❖ समिति, उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए, सेबी को ऐसे किसी भी उल्लंघन और की गई कार्रवाई के प्रतिवेदन करने का निर्णय ले सकती है। कंपनी की उपरोक्त कार्रवाइयां, किसी भी सिविल या आपराधिक कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होंगी, जो नियामक प्राधिकरण ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध शुरू कर सकते हैं; और
- ❖ नामित व्यक्तियों और अन्य लोगों की सूची तय करना और उसे अंतिम रूप देना, जिन्हें समय-समय पर इस संहिता द्वारा कवर किया जाना चाहिए।

समिति उपरोक्त सभी या इनमें से किसी को भी कंपनी के अनुपालन अधिकारी/किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकती है।

9. ट्रेडिंग विंडो

(क) कंपनी एक ट्रेडिंग अवधि निर्दिष्ट करेगी, जिसे "ट्रेडिंग विंडो" कहा जाएगा, जिसके दौरान नामित व्यक्ति (उनके निकटतम रिश्तेदारों सहित) इस संहिता के अनुसार अनुपालन अधिकारी से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं।

(ख) नामित व्यक्ति ट्रेडिंग विंडो बंद रहने की अवधि के दौरान कंपनी की किसी भी प्रतिभूति में व्यापार नहीं करेंगे।

(ग) सभी नामित व्यक्ति (उनके निकटतम रिश्तेदारों सहित) कंपनी की प्रतिभूतियों में अपना सारा व्यापार केवल पूर्व-मंजूरी प्राप्त करने के बाद और वैध ट्रेडिंग विंडो अवधि में ही करेंगे और ट्रेडिंग विंडो बंद रहने की अवधि के दौरान या कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य अवधि के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद और/या बिक्री से संबंधित किसी भी लेन-देन में व्यापार नहीं करेंगे।

(घ) जब ट्रेडिंग विंडो खुली हो, तो नामित व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई भी व्यापार अनुपालन अधिकारी की पूर्व मंजूरी के अधीन होगा।

(ङ) ट्रेडिंग विंडो, आम तौर पर हर तिमाही के अंत से पहले वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी। ट्रेडिंग विंडो को बंद करने का समय अनुपालन अधिकारी द्वारा तय किया जाएगा। ट्रेडिंग विंडो को यूपीएसआई के सार्वजनिक होने के 48 घंटे से पहले नहीं खोला जाएगा।

(च) इसके अतिरिक्त, ट्रेडिंग विंडो को विशेष रूप से नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों के लिए भी बंद कर दिया जाएगा, जब अनुपालन अधिकारी यह निर्धारित करता है कि नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों के वर्ग के पास उचित रूप से यूपीएसआई के मौजूद होने की उम्मीद की जा सकती है, अनुपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के लिए। नामित व्यक्तियों को ऐसी विशिष्ट ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि के बारे में एक अधिसूचना प्राप्त होगी।

(छ) उपरोक्त खंडों में उल्लिखित ट्रेडिंग विंडो बंद करने की अवधि, इस संबंध में समय-समय पर सेबी द्वारा

जारी संशोधनों के अधीन होगी।

(ज) ट्रेडिंग विंडो बंद करने की अवधि निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी:

- i. उन अंदरूनी व्यक्तियों (इनसाइडर) के बीच ऑफ-मार्केट पारस्परिक अंतरण, जिनके पास संहिता का उल्लंघन किए बिना एक ही यूपीएसआई थी तथा दोनों पक्षों ने सचेत और सूचित व्यापार निर्णय लिया था।
- ii. ब्लॉक डील विंडो प्रणाली के माध्यम से उन व्यक्तियों के बीच लेनदेन किया गया, जिनके पास संहिता का उल्लंघन किए बिना यूपीएसआई थी तथा दोनों पक्षों ने सचेत एवं सूचित व्यापार निर्णय लिया था।
- iii. किसी वैधानिक या विनियामक दायित्व के तहत किया गया लेन-देन, जो वास्तविक लेन-देन करने के लिए किया गया हो।
- iv. स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के अनुसरण में किया गया लेन-देन जिसके लिए प्रयोग मूल्य लागू विनियमों के अनुपालन में पूर्व-निर्धारित किया गया था।
- v. संहिता के अनुसार स्थापित व्यापार योजना के अनुसार निष्पादित व्यापार।

10. नामित व्यक्तियों द्वारा व्यापार की पूर्व-मंजूरी

लागू सेबी विनियमों के अनजाने उल्लंघन को रोकने में सहायता प्रदान करने और कंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के संबंध में अनौचित्य की उपस्थिति से बचने के लिए, नामित व्यक्तियों (या तो अपने नाम पर या किसी निकटतम रिश्तेदार के नाम पर) द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में किसी भी लेन-देन (कंपनी की प्रतिभूतियों के अधिग्रहण और निपटान सहित, बिना किसी सीमा के) को पहले से मंजूरी दी जानी चाहिए।

- ❖ स्टॉक ऑप्शन (ईएसओपी) के मामले में, विकल्पों का प्रयोग बिना पूर्व-मंजूरी के किया जा सकता है। हालांकि, स्टॉक ऑप्शन के प्रयोग पर आवंटित शेयरों की बिक्री के लिए पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी।
- ❖ पूर्व-मंजूरी को निम्नानुसार अनुमोदित और प्राप्त किया जाना आवश्यक है:
 - सभी पूर्व-मंजूरी अनुपालन अधिकारी को आवेदन करना आवश्यक है; तथा
 - पूर्व-मंजूरी को कंपनी के समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी, समूह मुख्य मानव संसाधन अधिकारी और अनुपालन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया जाएगा।
- ❖ नामित व्यक्ति, प्रस्तावित लेन-देन के लिए **अनुबंध I** के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करके अनुपालन अधिकारी से पूर्व-मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं और घोषणा कर सकते हैं कि उनके पास कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी नहीं है।
- ❖ कोई भी नामित व्यक्ति किसी प्रस्तावित व्यापार की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन नहीं करेगा, यदि उसके पास यूपीएसआई है, भले ही ट्रेडिंग विंडो खुली हो।
- ❖ इस संहिता के तहत नामित व्यक्तियों से कोई भी मौखिक अनुरोध और/या कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए मौखिक पुष्टि स्वीकार्य नहीं है और इसे कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए वैध अनुरोध या अनुमोदन नहीं माना जाएगा।
- ❖ **अनुबंध IIक और IIख** के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से अनुमोदन/अस्वीकृति दी जाएगी। यदि व्यापार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अनुपालन अधिकारी अपनी सहमति वापस लेने

के कारणों का एक लिखित विवरण प्रदान करेगा, जहाँ तक संभव हो।

- ❖ जब तक संबंधित नामित व्यक्ति को व्यापार के लिए मंजूरी देने वाला अनुपालन अधिकारी से औपचारिक संचार प्राप्त नहीं होता है, तब तक कोई भी अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया माना जाएगा और नामित व्यक्ति कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं कर सकता है।
- ❖ अनुमति देते समय, अनुपालन अधिकारी कुछ शर्तें या प्रतिबंध लगा सकता है, जैसा कि आवश्यक हो सकता है। अनुपालन अधिकारी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन करने वाले नामित व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई कोई भी घोषणा उचित रूप से गलत होने के योग्य है या नहीं।
- ❖ साथ ही, नामित व्यक्ति केवल उन प्रतिभूतियों की संख्या तक ही व्यापार कर सकता है, जिनके लिए अनुपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया गया है। कोई भी व्यापार जो उन प्रतिभूतियों की संख्या से अधिक है, जिनके लिए अनुमोदन दिया गया है या जो अनुमोदित की गई प्रतिभूतियों से भिन्न प्रकार का है, अनुमोदित नहीं है। इसके लिए संहिता में दिए गए अनुसार नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी "क" को 100 शेयर खरीदने के लिए अनुमोदन दिया गया है, तो संहिता की अन्य शर्तों के अधीन, "क" 100 शेयर तक खरीद सकता है, लेकिन शेयरों की कोई बिक्री नहीं कर सकता है। साथ ही, "क" के लिए अनुमोदन को किसी अन्य कर्मचारी "ख" के लिए अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि "ख" द्वारा संहिता में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता।

- ❖ एक बार स्वीकृत होने के बाद पूर्व-मंजूरी, अनुमोदन की तिथि से 7 ट्रेडिंग दिवस की अवधि के लिए वैध होगी। लेन-देन को स्वीकृत के अनुसार एकल/एक से अधिक किस्तों में निष्पादित किया जाएगा।
- ❖ नामित व्यक्ति लेन-देन के निष्पादन के 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर, अनुबंध III के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में अनुपालन अधिकारी के समक्ष ऐसे लेन-देन का विवरण दाखिल करेगा।
- ❖ यदि स्वीकृति दिए जाने के बाद 7 ट्रेडिंग दिवसों के भीतर लेन-देन निष्पादित नहीं किया जाता है तो नामित व्यक्ति को लेन-देन को फिर से पूर्व-मंजूरी देनी होगी। यदि कोई ट्रेड निष्पादित नहीं किया जाता है या निष्पादित किए गए ट्रेड उस मात्रा से कम मात्रा के लिए हैं, जिसके लिए स्वीकृति मांगी गई थी, तो नामित व्यक्ति को अनुबंध II में दिए गए प्रारूप के अनुसार अनुपालन अधिकारी को कारण भी बताने होंगे।
- ❖ नामित व्यक्ति किसी भी समय कंपनी की प्रतिभूतियों में व्युत्पन्न लेन-देन में कोई पोजिशन नहीं लेगा।
- ❖ यदि कंपनी का अनुपालन अधिकारी कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने की मंशा रखता है तो उसे कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमेटी ("आईटीएमसी") से व्यापार की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। अनुपालन अधिकारी द्वारा किए गए लेन-देन के संबंध में संहिता के अन्य सभी प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।
- ❖ निम्नलिखित लेन-देन के लिए ट्रेडों की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी:
 - i. अनुमोदित ट्रेडिंग योजना के अनुसार निष्पादित ट्रेड;
 - ii. लागू कानून के अनुसार शेयरों के अंतरण के अनुरूप लेनदेन;
 - iii. एक डिपॉजिटरी प्रतिभागी से दूसरे डिपॉजिटरी प्रतिभागी को प्रतिभूतियों के अंतरण से जुड़े लेनदेन,

- बशर्ते कि शेयरधारक और ऐसी प्रतिभूतियों के लाभकारी मालिक में कोई बदलाव न हो। हालांकि, प्रतिभूतियों की गिरवी और गिरवी के निरसन से जुड़े व्यापारों के लिए इस संहिता के अनुसार पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता बनी रहेगी;
- iv. विलय, विभाजन या किसी अन्य न्यायालय आदेश के अनुसरण में किए गए लेनदेन; तथा
- v. स्टॉक विकल्पों का प्रयोग। हालांकि, स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के अनुसार अर्जित प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिभूतियों में व्यापार को छूट नहीं दी जाएगी।

11. होल्डिंग अवधि/कॉन्ट्रा ट्रेड

- ❖ नामित व्यक्ति पिछले लेन-देन के बाद अगले 6 (छह) महीनों ("होल्डिंग अवधि") के दौरान किसी भी संख्या में प्रतिभूतियों को बेचने या खरीदने के विपरीत लेन-देन में प्रवेश नहीं करेंगे। जबकि कॉन्ट्रा ट्रेड का प्रतिबंध निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगा:
 - स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के अनुसरण में निष्पादित व्यापार; तथा
 - अनुमोदित व्यापार योजना के अनुसार व्यापार किया जाएगा।
- इसके अलावा, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ), बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस), राइट्स इश्यू या खुले प्रस्ताव में शेयरों की निविदा, शेयर बाय-बैक या डीलिस्टिंग ऑफर, एग्जिट ऑफर आदि में शेयरों/परिवर्तनीयों की सदस्यता के संबंध में कॉन्ट्रा ट्रेड का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- ❖ नामित व्यक्ति, जो किसी कॉन्ट्रा ट्रेड को निष्पादित करना चाहते हैं, उन्हें अनुपालन अधिकारी को न्यूनतम होल्डिंग अवधि की छूट के लिए आवेदन करना होगा। अनुपालन अधिकारी, ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे प्रतिबंध के सख्त आवेदन से छूट दे सकता है, बशर्ते कि ऐसी छूट सेबी विनियमों का उल्लंघन न करे।
 - ❖ यदि किसी कॉन्ट्रा ट्रेड को, अनजाने में या अन्यथा, पूर्वोक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे व्यापार से होने वाले लाभ को अधिनियम के तहत सेबी द्वारा प्रशासित निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि ("आईईपीएफ") में जमा करने के लिए सेबी को प्रेषण के लिए वापस किया जा सकेगा।

12. ट्रेडिंग योजना

एक नामित व्यक्ति, जिसके पास हमेशा यूपीएसआई हो सकती है, भविष्य में कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए सेबी पीआईटी विनियमों के अनुपालन में एक ट्रेडिंग योजना तैयार करने और इसे अनुमोदन और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए अनुपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का हकदार होगा, जिसके अनुसार भविष्य में उसकी ओर से अनुपालन तरीके से व्यापार किया जा सकता है। इसके लिए प्रारूप अनुबंध IV पर दिया गया है।

(क) ट्रेडिंग योजना तैयार करना

- i. ट्रेडिंग योजना में निम्नलिखित विवरण निर्धारित होने चाहिए:
 - किए जाने वाले ट्रेडों का मूल्य और ट्रेड की जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या
 - ट्रेड की प्रकृति अर्थात् अधिग्रहण/निपटान
 - ट्रेड निष्पादन के अंतराल या उनकी तिथियां
- ii. ट्रेडिंग योजना के अंतर्गत ट्रेड का प्रारंभ, ट्रेडिंग योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण के छह माह बाद ही होगा।
- iii. किसी भी वित्तीय अवधि के अंतिम दिन से पहले बीसवें ट्रेडिंग दिवस से शुरू होने वाली अवधि और

ऐसे वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण के बाद दूसरे ट्रेडिंग दिवस के बीच कंपनी की प्रतिभूतियों में कोई व्यापार नहीं होगा।

- iv. ट्रेडिंग योजना न्यूनतम बारह (12) महीने की अवधि के लिए होगी।
- v. ऐसी किसी अवधि का अधिव्यापन नहीं होना चाहिए, जिसके लिए कोई अन्य ट्रेडिंग योजना पहले से ही अस्तित्व में हो।
- vi. ट्रेडिंग योजना में बाजार के दुरुपयोग के लिए प्रतिभूतियों में व्यापार शामिल नहीं होगा।

यदि ट्रेडिंग योजना तैयार करते समय नामित व्यक्ति के पास कोई यूपीएसआई है और ऐसी यूपीएसआई सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है तो ट्रेडिंग योजना का कार्यान्वयन तब तक स्थगित कर दिया जाएगा, जब तक कि ऐसी यूपीएसआई सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं करा दी जाती।

(ख) आईटीएमसी द्वारा ट्रेडिंग योजना का अनुमोदन

आईटीएमसी ट्रेडिंग योजना की समीक्षा करेगी ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या योजना में सेबी पीआईटी विनियमों के उल्लंघन की कोई संभावना है, तथा साथ ही, ऐसे आकलन को सक्षम करने तथा योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित करने और निगरानी करने के लिए आवश्यक स्पष्ट वचनबद्धता भी प्राप्त करेगी।

आईटीएमसी को यह भी अधिकार होगा कि वह नामित व्यक्तियों से यह घोषणा प्राप्त कर सके कि उनके पास यूपीएसआई नहीं है या यह सुनिश्चित कर सके कि उनके पास जो भी यूपीएसआई है, वह उनके व्यापार शुरू करने से पहले सामान्य रूप से उपलब्ध हो जाएगा।

(ख) ट्रेडिंग प्लान के संबंध में अतिरिक्त अनुपालनीय बिंदु

- i. आईटीएमसी द्वारा अनुमोदित ट्रेडिंग योजना को स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचित किया जाएगा, जिसके अनुसार इनसाइडर द्वारा ऐसी योजना के अनुसार ट्रेडिंग की जा सकेगी।
- ii. एक बार अनुमोदित व्यापार योजना अपरिवर्तनीय होगी और नामित व्यक्ति को योजना से विचलित हुए बिना या व्यापार योजना के दायरे से बाहर कोई व्यापार निष्पादित किए बिना अनिवार्य रूप से योजना को क्रियान्वित करना होगा।
- iii. ट्रेडिंग विंडो बंद होने के दौरान ट्रेडिंग योजना के लिए पूर्व-मंजूरी हेतु कोई आवेदन नहीं किया जाना चाहिए।
- iv. अनुमोदित ट्रेडिंग योजना के अनुसार, निष्पादित ट्रेड के लिए ट्रेडों की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
- v. ट्रेडिंग विंडो मानदंड और कॉन्ट्रा ट्रेड पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, यदि ऐसे कॉन्ट्रा ट्रेड्स, इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा विधिवत अनुमोदित ट्रेडिंग योजना का हिस्सा थे।

13. मिश्रित

लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा वित्तीय परिणामों की मंजूरी और ऐसे वित्तीय परिणामों के अनुमोदन के लिए बोर्ड की बैठकों के बीच का अंतराल यथासंभव कम होना चाहिए और अधिमानतः उसी/तुरंत अगले दिन होना चाहिए ताकि यूपीएसआई को लीक होने से बचाया जा सके।

14. अनुपालन अधिकारी और प्रतिवेदन तंत्र की भूमिका/कर्तव्य

- ❖ अनुपालन अधिकारी, बोर्ड और लेखा परीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति की देखरेख में नीतियों, प्रक्रियाओं, अभिलेखों के रख-रखाव, यूपीएसआई के संरक्षण के लिए नियमों के अनुपालन की निगरानी, संहिता के अनुसार ट्रेडिंग की निगरानी और संहिता के कार्यान्वयन, नामित व्यक्तियों (और उनके निकटतम रिश्तेदारों)

के अभिलेखों को बनाए रखने और नामित व्यक्तियों (और उनके निकटतम रिश्तेदारों) की सूची में किए गए किसी भी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होगा।

- ❖ अनुपालन अधिकारी इस संहिता और लागू विनियमों के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्रदान करने में सभी कर्मचारियों की सहायता करेगा।
- ❖ अनुपालन अधिकारी ऐसे प्रतिवेदन, बोर्ड और विशेष रूप से बोर्ड की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति को नामित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग के संबंध में प्रतिवेदन सहित, तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा ताकि वे इस संहिता और सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा कर सकें और यह सत्यापित कर सकें कि आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।
- ❖ अनुपालन अधिकारी नामित व्यक्तियों द्वारा दी गई सभी घोषणाओं/प्रकटीकरणों का न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए अभिलेख अनुरक्षित करेगा।
- ❖ अनुपालन अधिकारी को सेबी पीआईटी विनियमों के अनुपालन में स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरणों के साथ आवश्यक प्रकटीकरण करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- ❖ अनुपालन अधिकारी चुनिंदा प्रकटीकरण से बचने के लिए यूपीएसआई का एक समान और सार्वभौमिक प्रसार सुनिश्चित करेगा।
- ❖ किसी भी ट्रेड को मंजूरी देने से पहले, अनुपालन अधिकारी इस आशय की घोषणाएं प्राप्त करने का हकदार होगा कि पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदक के पास कोई यूपीएसआई नहीं है। उसे यह भी ध्यान रखना होगा कि क्या ऐसी कोई घोषणा उचित आधार पर गलत साबित हो सकती है।
- ❖ अनुपालन अधिकारी संहिता या सेबी विनियमों में निर्धारित अन्य कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- ❖ ऐसे अन्य कर्तव्य, जिन्हें समय-समय पर आईटीएमसी द्वारा प्रत्यायोजित किया जा सकता है।

15. प्रतिवेदन/प्रकटन आवश्यकताएं

कंपनी को सेबी विनियमों के तहत निर्दिष्ट प्रारूपों में कुछ व्यक्तियों से प्रकटीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। अनुपालन अधिकारी समय-समय पर प्रकटीकरण प्रस्तुत करने के प्रारूपों की समीक्षा और संशोधन कर सकता है, जैसा कि उचित हो।

(क) प्रमोटर/प्रमोटर समूह, निदेशकों, केएमपी, एसएमपी और नामित व्यक्तियों द्वारा प्रारंभिक प्रकटीकरण

- ❖ कंपनी के केएमपी, एसएमपी या निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर या प्रमोटर या प्रमोटर समूह का सदस्य बनने पर प्रत्येक व्यक्ति को नियुक्ति के 7 दिनों के भीतर या प्रमोटर या प्रमोटर समूह का सदस्य बनने पर फॉर्म ख में अनुपालन अधिकारी के समक्ष कंपनी की प्रतिभूतियों की अपनी होल्डिंग्स का खुलासा करना होगा, जैसा कि अनुबंध V क पर विस्तृत है।
- ❖ नामित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने पर नामित व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों की सभी होल्डिंग्स का खुलासा 7 दिनों के भीतर किया जाएगा, जैसा कि अनुबंध V ख पर विस्तृत है।

(ख) प्रमोटर/प्रमोटर समूह/निदेशक, केएमपी, एसएमपी और नामित व्यक्तियों द्वारा निरंतर प्रकटीकरण

- ❖ प्रत्येक प्रमोटर, प्रमोटर समूह का सदस्य, निदेशक, केएमपी, एसएमपी और कंपनी का नामित व्यक्ति, फॉर्म ग में ऐसे लेन-देन के 2 (दो) ट्रेडिंग दिवस के भीतर कंपनी के समक्ष अधिग्रहित या निपटान की गई प्रतिभूतियों की संख्या का प्रकटन करेगा, जैसा कि अनुबंध VI पर विस्तृत है।

(ग) नामित व्यक्तियों द्वारा वार्षिक प्रकटन

- ❖ सभी नामित व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुबंध VII में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार नीचे दिए गए ब्यौरे सहित वार्षिक प्रकटीकरण करेंगे:
 - प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक धारित प्रतिभूतियों की संख्या;
 - निकटतम रिश्तेदार और ऐसे व्यक्तियों का नाम, जिनके साथ ऐसे नामित व्यक्ति का भौतिक वित्तीय संबंध है;
 - पैन या (i) के कानून द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता; तथा
 - (i) में उल्लिखित व्यक्तियों के फोन, मोबाइल नंबर

टिप्पणी: "भौतिक वित्तीय संबंध" का अर्थ ऐसे संबंध से है, जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता होता है, जैसे कि किसी नामित व्यक्ति से ऋण या उपहार के रूप में तत्काल पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान, जो ऐसे नामित व्यक्ति की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर हो, लेकिन इसमें ऐसे संबंध शामिल नहीं होंगे, जिनमें भुगतान अप्रत्यक्ष लेन-देन पर आधारित हो।

(घ) नामित व्यक्तियों द्वारा एकल प्रकटन

- ❖ नामित व्यक्तियों को कंपनी के समक्ष उन शैक्षणिक संस्थानों के नाम का भी एकल प्रकटन करना होगा, जहां से नामित व्यक्तियों ने अध्ययन किया है/स्नातक किया है तथा उनके पिछले नियोक्ताओं के नाम भी वार्षिक आधार पर तथा जब कभी भी उक्त जानकारी में परिवर्तन हो तो अनुबंध VIII पर प्रकट करने होंगे।

(ङ) संबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रकटन

- ❖ अनुपालन अधिकारी अपने विवेकानुसार किसी अन्य आंतरिक व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति से कंपनी की प्रतिभूतियों में होल्डिंग्स और ट्रेडिंग के बारे में ऐसे प्रारूप में और ऐसी आवृत्ति पर प्रकटन की अपेक्षा कर सकता है, जिसे अनुबंध VIII पर दिए गए विस्तृत विवरण के अनुसार फॉर्म घ में इन सेबी पीआईटी विनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए आवश्यक समझा जा सकता है।

16. पिट कोड/सेबी विनियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना

(क) संहिता का अनुपालन न करने के परिणाम

- ❖ इस संहिता का अनुपालन न करना अनुशासनात्मक मुद्दा है और कुछ मामलों में यह आपराधिक भी हो सकता है। कोई भी नामित व्यक्ति जिसमें उसका निकटतम रिश्तेदार भी शामिल है, जो इस संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी दंडात्मक/अनुशासनात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमेटी ("आईटीएमसी") द्वारा उचित माना जा सकता है, जो आईटीएमसी द्वारा तय और अनुमोदित प्रतिबंध ढांचे के अनुसार हो।
- ❖ आईटीएमसी द्वारा की गई कार्रवाइयों के साथ इस संहिता के सभी उल्लंघनों की रिपोर्ट तिमाही आधार

पर कंपनी की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल को दी जाएगी। कंपनी की उपरोक्त कार्रवाइयां किसी भी सिविल या आपराधिक कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होंगी, जिसे नियामक प्राधिकरण ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध शुरू कर सकते हैं।

(ख) सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना

- ❖ यदि कोई भी इनसाइडर, इनसाइडर ट्रेडिंग कोड/सेबी पीआईटी विनियमनों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो ऐसे इनसाइडर पर सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सेबी अधिनियम, 1992 के तहत न्यूनतम जुर्माना 10 लाख रुपये है, जो 25 करोड़ रुपये या ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे का 3 गुना, जो भी अधिक हो, तक हो सकता है।

इस खंड के तहत लगाई गई कोई भी धनराशि, सेबी अधिनियम, 1992 के तहत सेबी द्वारा प्रशासित निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष में जमा करने के लिए सेबी को भेजी जाएगी।

17. उत्तरदायित्व

यह प्रत्येक इनसाइडर का उत्तरदायित्व है, जिस पर यह संहिता लागू होती है, कि वह संहिता के प्रावधानों का पालन करे। संदेह होने पर, इनसाइडर संहिता के किसी भी प्रावधान या सेबी द्वारा जारी अन्य संबंधित लागू विनियमों पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अनुपालन अधिकारी की सहायता ले सकते हैं।

18. प्रतिशोध और उत्पीड़न से कर्मचारियों की सुरक्षा

- ❖ यूपीएसआई के लीक होने या इस संहिता के किसी भी संदिग्ध उल्लंघन की सूचना व्हिसल ब्लोअर तंत्र के तहत दी जा सकती है।
- ❖ इस नीति के तहत संदिग्ध उल्लंघन की सूचना देने पर प्रतिशोध की सख्त मनाही है।
- ❖ 17 सितंबर, 2019 को सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019 के तहत शुरू किए गए मुखबिर तंत्र के अनुसार इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनों के किसी भी कथित उल्लंघन की रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को किसी भी तरह की कर्तव्यमुक्ति, बर्खास्तगी, पदावनति, निलंबन, धमकी, उत्पीड़न, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या भेदभाव से सुरक्षा दी जाएगी।

19. नीति की समीक्षा

कंपनी सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं और समय-समय पर कानून के तहत विभिन्न संशोधनों के अनुरूप अपनी नीतियों की नियमित समीक्षा और संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लेखापरीक्षा तथा जोखिम प्रबंधन समिति एवं निदेशक मंडल को इस संहिता में परिवर्तन करने, संशोधन करने, व्याख्या करने का अधिकार होगा और यह बोर्ड द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रभावी होगा।

20. कानून में संशोधन

सेबी पीआईटी विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और/या सेबी लिस्टिंग विनियम और/या इस संबंध में अन्य लागू कानूनों में कोई भी अनुवर्ती संशोधन/परिवर्तन, स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होगा।

21. अस्वीकरण

यह नीति केवल आंतरिक आचार संहिता है और इनसाइडर ट्रेडिंग से बचने के उपायों में से एक है। प्रत्येक इनसाइडर को सेबी विनियमों से खुद को परिचित करना आवश्यक है क्योंकि इस संहिता, सेबी विनियमों और अन्य संबंधित कानूनों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक इनसाइडर (और उसके संबंधियों) की जिम्मेदारी होगी।

22. नामित व्यक्तियों के दायित्वों का सारांश/प्रकटीकरण का प्रारूप

सभी नामित व्यक्ति इस संहिता और सेबी पीआईटी विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और नीचे संक्षेप में दिए गए दायित्वों के अधीन होंगे:

क्र. सं.	विवरण	समय-सीमा	प्रकटन का प्रारूप
1	ट्रेडों की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन		अनुबंध I
2	यह घोषणा कि नामित व्यक्ति के पास यूपीएसआई नहीं है	पूर्व मंजूरी के आवेदन के साथ।	अनुबंध I
3	पूर्व-मंजूरी आवेदन को मंजूरी देने वाले अनुपालन अधिकारी से अनुमोदन	आवेदन या आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 2 कार्य दिवसों के भीतर।	अनुबंध IIक
4	अनुपालन अधिकारी द्वारा पूर्व-मंजूरी आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश	आवेदन या आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 2 कार्य दिवसों के भीतर।	अनुबंध IIख
5	पूर्व-मंजूरी के अनुसार व्यापार के निष्पादन पर प्रकटीकरण	ट्रेड पूरी होने के 2 कार्य दिवसों के भीतर।	अनुबंध III
6	पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद ट्रेड न करने के निर्णय या स्वीकृत समय-सीमा के भीतर ट्रेड पूरी करने में विफल रहने का प्रतिवेदन, कारण सहित	पूर्व-मंजूरी प्रदान करने की तिथि से 7वें ट्रेडिंग दिवस के पूरा होने पर 2 कार्य दिवसों के भीतर।	अनुबंध III
7	वार्षिक ट्रेडिंग योजना के लिए आवेदन		अनुबंध IV
8	प्रमोटर, प्रमोटर समूह के सदस्य, केएमपी, एसएमपी और निदेशक द्वारा उनकी नियुक्ति के समय ऐसे व्यक्तियों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों के संबंध में प्रारंभिक प्रकटीकरण	प्रमोटर, केएमपी और निदेशक के रूप में नियुक्ति के 7 दिनों के भीतर	अनुबंध V क
9	नामित व्यक्ति के रूप में चिह्नित होने के समय प्रमोटर, प्रमोटर समूह के सदस्य, केएमपी, वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक प्रकटीकरण का प्रारूप	नामित व्यक्ति के रूप में नियुक्त होने के 7 दिनों के भीतर	अनुबंध V ख

10	एक लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला में अर्जित या निपटान की गई प्रतिभूतियों की संख्या का निरंतर प्रकटीकरण	ऐसे लेन-देन के 2 कारोबारी दिनों के भीतर	अनुबंध VI
11	वित्तीय वर्ष के अंत में नामित व्यक्तियों द्वारा उनके द्वारा धारित प्रतिभूतियों की संख्या के संबंध में वार्षिक प्रकटीकरण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर	अनुबंध VII
12	कंपनी द्वारा चिह्नित संबद्ध व्यक्तियों द्वारा लेन-देन का प्रकटीकरण	ऐसी आवृत्ति पर जैसा कि अनुपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है	अनुबंध VIII

1. पृष्ठभूमि

सेबी पीआईटी विनियमन, विनियमन 9 क(5) के अनुसार, बोर्ड को यूपीएसआई के लीक/संदेहास्पद लीक के मामले में जांच के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार करने की आवश्यकता है और तदनुसार, यूपीएसआई के लीक/संदेहास्पद लीक के बारे में पता चलने पर उचित जांच शुरू करनी चाहिए।

यूपीएसआई के किसी भी वास्तविक या संदिग्ध लीक की कोई भी जांच, ऐसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। यह देखते हुए कि यूपीएसआई के लीक/संदेहास्पद लीक के प्रत्येक ऐसे मामले की जांच करते समय लागू होने वाली मानक संचालन प्रक्रिया प्रदान करना संभव नहीं है, यह नीति व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित करती है, जिनका निदेशक मंडल द्वारा यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध लीक के मामलों की जांच करते समय पालन किया जाएगा।

2. उद्देश्य

- ❖ यूपीएसआई के लीक को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
- ❖ अप्राधिकृत व्यक्ति के साथ यूपीएसआई को साझा करने की प्रथा को प्रतिबंधित और निषिद्ध करना, जो कंपनी के भीतर से उत्पन्न होती है और जो कंपनी के बाजार मूल्य को प्रभावित करती है और साथ ही कंपनी की प्रतिष्ठा और निवेशकों/वित्तपोषकों के विश्वास को नुकसान पहुंचाती है;
- ❖ अंदरूनी लोगों, कर्मचारियों और नामित व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, फर्म, कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय के साथ यूपीएसआई साझा करने की अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए एक समान संहिता बनाना।
- ❖ यूपीएसआई के लीक होने या यूपीएसआई के संदिग्ध लीक के मामले में जांच शुरू करना और तुरंत सेबी को इसकी सूचना देना।
- ❖ यदि उचित समझा जाए तो किसी भी अंदरूनी व्यक्ति, कर्मचारी और नामित व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, जो इस नीति का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है, इसके अलावा सेबी द्वारा अंदरूनी व्यक्ति, कर्मचारियों और नामित व्यक्तियों के खिलाफ शुरू की गई/की गई किसी भी कार्रवाई के अलावा।

3. जांच समिति

इनसाइडर ट्रेडिंग निगरानी समिति ही वह जांच समिति होगी, जो निम्नलिखित के लिए अधिकृत होगी:

- ❖ यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध लीक से संबंधित सूचना या शिकायत में निहित सत्य का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करें।
- ❖ यदि आवश्यक हो तो किसी व्यक्ति को आवश्यक समर्थन सामग्री एकत्र करने के लिए अधिकृत करें।
- ❖ तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करें और मामले पर निर्णय लें / निर्देश दें।

- ❖ उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लें।

4. यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध लीक के मामले में जांच की प्रक्रिया

- ❖ यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध लीक का पता चलने पर निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं:
 - स्वप्रेरणा से, जिसमें आंतरिक निगरानी भी शामिल है; या
 - कंपनी के व्हिसल ब्लोअर तंत्र के माध्यम से प्राप्त लिखित शिकायत और/या ईमेल; या
 - नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त संचार।समिति मूल्यांकन करेगी और निर्धारित करेगी कि क्या मामला जांच योग्य है।
- ❖ यह स्पष्ट किया जाता है कि बाजार की अफवाहें, मीडिया रिपोर्टों पर आधारित अनुमान या विश्लेषकों द्वारा की गई टिप्पणियां आदि प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए एकमात्र निर्णायक कारक नहीं होंगे और समिति के पास यह निर्णय लेने का विवेक होगा कि ऐसे प्रत्येक मामले में प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है या नहीं।
- ❖ यदि समिति निर्णय लेती है कि यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध लीक के मामले में प्रारंभिक जांच की जाएगी, तो इसका उद्देश्य समिति को वास्तविक तथ्यों को स्थापित करने और उनका संज्ञान लेने तथा यह निर्णय लेने में सक्षम बनाना होगा कि क्या प्रथम दृष्टया प्रतिभूति कानूनों का कोई उल्लंघन प्रतीत होता है। प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर समिति यह निर्णय ले सकती है कि विस्तृत जांच की आवश्यकता है या नहीं।
- ❖ समिति के निर्धारण के आधार पर यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध लीक के बारे में आरोपों की सत्यता का आकलन करने के लिए विस्तृत जांच की जा सकती है, जिसमें इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा के साथ-साथ, जहां आवश्यक समझा जाए, साक्षात्कार आयोजित करना शामिल है।
- ❖ यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध लीक के मामलों में कोई भी जांच करते समय समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखेगी। तदनुसार, जांच के दौरान उस संबंधित नामित व्यक्ति/अंदरूनी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति समिति के समक्ष अपने बचाव में प्रस्तुतियां देने, साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों के बयान आदि देने के हकदार होंगे और समिति को मामले पर निष्कर्ष निकालने से पहले उनका आकलन करना होगा और उनपर विचार करना होगा।

5. जांच का परिणाम

जांच के समापन पर और उसके परिणाम के आधार पर समिति, नामित व्यक्ति/अंदरूनी व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई/दंड, यदि कोई हो, तय करेगी। समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

6. यूपीएसआई के वास्तविक/ संदिग्ध लीक का खुलासा

अनुपालन अधिकारी अनुबंध XI पर दिए गए प्रारूप के अनुसार ऐसे लीक, पूछताछ और ऐसी जांच के परिणामों के बारे में सेबी को तुरंत सूचित करेगा।

7. कानून में संशोधन

सेबी पीआईटी विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और/या सेबी लिस्टिंग विनियम और/या इस संबंध में अन्य लागू कानूनों में कोई भी अनुवर्ती संशोधन/परिवर्तन, स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होगा।

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता एवं प्रक्रिया तथा "वैध उद्देश्य" के निर्धारण के लिए नीति

इस संहिता का उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए नीति तैयार करना है और निदेशक मंडल इसका अक्षरशः पालन करेगा।

1. निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचरण के सिद्धांत

- ❖ विश्वसनीय और ठोस जानकारी के अस्तित्व में आने से पहले ही मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले यूपीएसआई का शीघ्र सार्वजनिक प्रकटीकरण ताकि ऐसी सूचना को आम तौर पर उपलब्ध कराया जा सके।
- ❖ चयनित प्रकटीकरण से बचने के लिए यूपीएसआई का एकसमान और सार्वभौमिक प्रसार।
- ❖ जब तक बोर्ड द्वारा अन्यथा समाधान नहीं किया जाता, कंपनी सचिव यूपीएसआई की जानकारी के प्रसार और प्रकटीकरण से निपटने के लिए मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
- ❖ चयनित, अनजाने में या अन्यथा प्रकट किए गए यूपीएसआई का शीघ्र प्रसार, ताकि ऐसी जानकारी आम तौर पर उपलब्ध कराई जा सके।
- ❖ समाचार रिपोर्टों पर प्रश्नों और नियामक प्राधिकरणों द्वारा बाजार अफवाहों के सत्यापन के अनुरोधों के लिए उचित और निष्पक्ष प्रतिक्रिया।
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि विश्लेषकों और अनुसंधान कर्मियों के साथ साझा की गई जानकारी यूपीएसआई नहीं है।
- ❖ आधिकारिक वेबसाइट पर विश्लेषकों और अन्य निवेशक संबंध सम्मेलनों के साथ बैठकों की कार्यवाही की प्रतिलिपियां या रिकॉर्ड बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास विकसित करना ताकि किए गए प्रकटीकरण की आधिकारिक पुष्टि और दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो सके।
- ❖ सभी यूपीएसआई को आवश्यकता के आधार पर संभालना।

2. "वैध उद्देश्य" के निर्धारण हेतु नीति

- ❖ सेबी पीआईटी विनियमों के अनुसार, "वैध उद्देश्य" शब्द को कंपनी के भागीदारों, सहयोगियों, उधारदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, मर्चेट बैंकरों, कानूनी सलाहकारों, लेखा परीक्षकों, दिवालियापन पेशेवरों या अन्य सलाहकारों या परामर्शदाताओं के साथ किसी अंदरूनी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के सामान्य क्रम में यूपीएसआई को साझा करने को शामिल करने के लिए स्पष्ट किया गया है, बशर्ते कि यूपीएसआई का ऐसा साझाकरण सेबी पीआईटी विनियमों के निषेधों से बचने या उन्हें दरकिनार करने के लिए नहीं किया गया हो।
- ❖ सेबी विनियमों के अनुसार बोर्ड को सेबी विनियमों में दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप 'वैध उद्देश्य' के निर्धारण के लिए एक नीति तैयार करने की आवश्यकता होती है। किसी विशेष उदाहरण के लिए यूपीएसआई को साझा करना 'वैध उद्देश्य' के बराबर होगा या नहीं, इसका आकलन पूरी तरह से प्रत्येक मामले के

- विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तदनुसार, यह नीति केवल उन सिद्धांतों को निर्धारित करती है जिन पर यह आकलन करते समय विचार किया जाना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए यूपीएसआई को साझा करने का प्रस्ताव है, वह "वैध" है या नहीं।
- ❖ मुख्यतः निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:
 - क्या ऐसी जानकारी साझा करना कंपनी के सामान्य व्यवसाय का हिस्सा है।
 - क्या सूचना को विनियमों के निषेध से बचने या उसे दरकिनार करने के लिए साझा करने की मांग की जा रही है।
 - क्या सूचना साझा करना कंपनी के सर्वोत्तम हित में है या किसी वास्तविक वाणिज्यिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए है।
 - क्या कंपनी को अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए सूचना साझा करना आवश्यक है।
 - क्या साझा की जा रही सूचना की प्रकृति उस उद्देश्य के अनुरूप है, जिसके लिए प्राप्तकर्ता को पहुंच प्रदान की जानी है।
 - ❖ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि यूपीएसआई को साझा करने के कई उद्देश्य हैं तो प्रत्येक उद्देश्य का मूल्यांकन उसके अपने गुणों के आधार पर उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुरूप किया जाएगा।
 - ❖ यूपीएसआई के प्राप्तकर्ता को लिखित सूचना और/या संविदात्मक समझौते, जैसे कि गोपनीयता समझौते या गैर-प्रकटीकरण समझौते के माध्यम से निम्नलिखित के बारे में सूचित किया जाएगा:
 - साझा की जा रही जानकारी यूपीएसआई है और कंपनी ऐसे यूपीएसआई की एकमात्र स्वामी है।
 - यूपीएसआई प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता को एक अंदरूनी सूत्र माना जाएगा और वह सेबी पीआईटी विनियमों के प्रावधानों के अधीन होगा।
 - प्राप्तकर्ता को हर समय यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखनी होगी।
 - प्राप्तकर्ता यूपीएसआई का उपयोग केवल उन्हीं अनुमोदित उद्देश्यों के लिए कर सकता है, जिनके लिए इसका खुलासा किया गया था।
 - प्राप्तकर्ता को लिखित वचन देना होगा कि वह यूपीएसआई का लाभ उठाते हुए कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा।
 - प्राप्तकर्ता को कंपनी को इस संबंध में अपेक्षित सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करना होगा।
 - प्राप्तकर्ता को सेबी विनियमनों के विनियमन 9 के अनुसार एक आचार संहिता भी अपनानी होगी ताकि अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह सेबी विनियमनों के अनुरूप यूपीएसआई की सुरक्षा करता है।
 - ❖ कंपनी द्वारा समय-समय पर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के सामान्य क्रम में अपने सलाहकारों और सेवा प्रदाताओं, जैसे लेखा परीक्षकों, मर्चेन्ट बैंकरों और कंपनी के कानूनी सलाहकारों/परामर्शदाताओं के साथ, उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुरूप जानकारी साझा की जानी चाहिए।
 - ❖ इसके अतिरिक्त, बोर्ड या अनुपालन अधिकारी या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, सेबी पीआईटी विनियमों के अनुपालन में संरचित डिजिटल डेटाबेस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें यूपीएसआई के सभी प्राप्तकर्ताओं के आवश्यक विवरण शामिल होंगे, जो सेबी पीआईटी विनियमों के अनुपालन में यूपीएसआई प्राप्त करते हैं, जिसमें नाम, पता, ईमेल, स्थायी खाता संख्या (पैन), या कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता (जहां पैन उपलब्ध नहीं है) और ऐसे अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो आवश्यक हो सकते हैं, जिस तरह से निदेशक मंडल या सेबी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

इस संबंध में, वैध उद्देश्यों के लिए यूपीएसआई को साझा करने की दिशा में सेबी पीआईटी विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और नियंत्रण स्थापित किए जाएंगे।

3. इस नीति का संशोधन

बोर्ड, सेबी विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, जैसा वह उचित समझे, इस नीति को पूर्णतः या आंशिक रूप से संशोधित या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

परिणाम प्रबंधन के लिए प्रतिबंध ढांचा

- (क) मौखिक या लिखित चेतावनी;
- (ख) नामित व्यक्तियों और अंदरूनी लोगों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना;
- (ग) आंतरिक कार्रवाई जैसे वेतन वृद्धि/पदोन्नति पर रोक, भूमिका में परिवर्तन, नौकरी का स्तर, कंपनी की ईएसओपी योजना में भविष्य की भागीदारी के लिए अयोग्यता;
- (घ) आईटीएमसी द्वारा प्रत्येक मामले की गंभीरता के आधार पर उचित समझा जाने वाला मौद्रिक जुर्माना;
- (ङ) निलंबन या रोजगार समाप्ति;

संहिता उल्लंघनों का वर्गीकरण	सुझाए गए प्रतिबंध
<p>तकनीकी उल्लंघन</p> <ul style="list-style-type: none"> • पूर्व-मंजूरी के बिना व्यापार करना; • पूर्व-मंजूरी की तिथि से 7 दिन की समाप्ति के बाद लेन-देन निष्पादित करना; • पूर्व-मंजूरी के बाद लेन-देन पूरा होने की रिपोर्टिंग न करना; • संहिता के तहत आवश्यक जानकारी की गलत रिपोर्टिंग/गैर-रिपोर्टिंग; • संहिता के तहत आवश्यक प्रपत्रों और प्रकटीकरणों को प्रस्तुत न करना; • आईटीएमसी द्वारा लगाए जा सकने वाले उपचारात्मक कार्यों के अनुपालन में गैर-अनुपालन/विलंब। 	<p>उपरोक्त (क) से (घ) तक की कोई कार्रवाई या उनका संयोजन, जैसा कि आईटीएमसी द्वारा प्रत्येक मामले की गंभीरता के आधार पर तय किया जा सकता है।</p>
<p>गंभीर उल्लंघन</p> <ul style="list-style-type: none"> • ट्रेडिंग की बंद अवधि के दौरान वेदांता लिमिटेड की प्रतिभूतियों में मुनाफाखोरी के लिए ट्रेडिंग करना; • सशर्त पूर्व-मंजूरी का उल्लंघन करते हुए लेन-देन करना; • डेरिवेटिव में डील करना; • मूल्य संवेदनशील सूचना के आधार पर प्रतिभूतियों में डील करना; • मूल्य संवेदनशील सूचना को आगे बढ़ाना या ऐसी जानकारी के आधार पर प्रतिभूतियों में डील करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिशें करना; • यूपीएसआई को साझा करना/लीक करना 	<p>उपरोक्त (ग) से (ङ) तक कोई भी कार्रवाई या उनका संयोजन, जैसा कि आईटीएमसी द्वारा प्रत्येक मामले की गंभीरता के आधार पर तय किया जा सकता है।</p>

टिप्पणियां:

1. ऊपर बताए गए प्रतिबंध परस्पर अनन्य नहीं हैं और किसी भी स्थिति में एक से अधिक प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं।
2. आईटीएमसी, प्रतिबंधों के स्तर पर निर्णय लेते समय मूल्य संवेदनशील जानकारी के ज्ञान, मुनाफाखोरी के उद्देश्य, संबंधित व्यक्ति की प्रबंधन जिम्मेदारी के स्तर, लेन-देन की गई प्रतिभूतियों की संख्या, चाहे उल्लंघन इरादतन हुआ हो या नहीं, जैसे कारकों को ध्यान में रख सकता है।

प्रतिबंधों का ढांचा, संहिता के उल्लंघन के लिए उचित प्रतिबंधों का निर्धारण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा आईटीएमसी किसी विशेष मामले की परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक होने पर ऊपर सूचीबद्ध न की गई किसी अन्य कार्रवाई का निर्णय ले सकता है।

ट्रेडिंग की पूर्व मंजूरी के लिए आवेदन पत्र

अनुपालन अधिकारी
वेदांता लिमिटेड

दिनांक: _____

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 और कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए कंपनी की आचार संहिता और यूपीएसआई के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचरण और प्रक्रिया संहिता के अनुसार, मैं नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री के लिए अनुमोदन चाहता हूं:

नामित व्यक्ति का विवरण	
नाम	
पदनाम	
पैन	
स्थान	
ई-मेल आईडी	
संपर्क	
पूर्व मंजूरी मांगी गई	स्वयं/निकटतम रिश्तेदार
यदि निकटतम रिश्तेदार के लिए पूर्व मंजूरी मांगी गई है, तो	
उस निकटतम रिश्तेदार का नाम जिसके लिए पूर्व-मंजूरी मांगी गई है	
रिश्ते का नाम	
निकट रिश्तेदार का पैन	
स्वयं/निकटतम रिश्तेदार द्वारा धारित प्रतिभूति का विवरण, जिसके लिए पूर्व-मंजूरी मांगी गई है	
आजकी तिथि तक धारित प्रतिभूतियों की संख्या भौतिक रूप में	
अभौतिक रूप में	
प्रस्तावित लेनदेन का विवरण	
प्रस्तावित लेनदेन की प्रकृति	बिक्री/खरीद
प्रस्तावित प्रतिभूतियों की संख्या, जिनका लेन-देन किया जाना है	
चिह्नित खाते का विवरण	
ब्रोकर का नाम एवं संपर्क विवरण खाता संख्या सहित।	

डिपॉजिटरी प्रतिभागी का नाम	
डीपी आईडी	
ग्राहक आईडी	
पूर्व-मंजूरी का विवरण, यदि कोई हो	
शेयरों की संख्या, जिसके लिए पूर्व मंजूरी ली गई	
पूर्व-मंजूरी के अनुमोदन की तिथि	
क्या लेन-देन निष्पादित हुआ था	
यदि हां, तो लेन-देन किए गए शेयरों की संख्या और मूल्य	
यदि लेन-देन नहीं हुआ तो उसका कारण	

मैं एतद्वारा पुष्टि एवं घोषणा करता हूँ कि:

(क) इस वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करने के समय तक मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है/मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिसे नीति में परिभाषित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के रूप में समझा जा सके;

(ख) यदि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी है/मुझे ऐसी कोई जानकारी है, जिसे इस वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करने के बाद लेकिन जिस लेन-देन के लिए अनुमोदन मांगा गया है उसे निष्पादित करने से पहले यूपीएसआई के रूप में समझा जा सकता है तो मैं तुरंत अनुपालन अधिकारी को सूचित करूंगा और ऐसी जानकारी सार्वजनिक होने तक कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने से पूरी तरह परहेज करूंगा;

(ग) मैंने पिछले लेन-देन की तिथि से पिछले/अगले छह महीनों के दौरान कोई विपरीत लेनदेन (खरीद/बिक्री) नहीं किया है और न ही करूंगा;

(घ) मैं निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज जमा करने का वचन देता हूँ;

(ङ) मुझे पता है कि, यदि उपरोक्त घोषणाएं किसी भी समय भ्रामक या गलत पाई जाती हैं तो मुझे अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित दंडात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है;

(च) मैं हर समय संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करने तथा अनुपालन अधिकारी द्वारा अपेक्षित व्यापार से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सहमत हूँ तथा यदि सेबी द्वारा अपेक्षित हो तो कंपनी को सेबी के समक्ष ऐसे विवरण का खुलासा करने की अनुमति देता हूँ।

(छ) मैं इसके अतिरिक्त कंपनी और उसके निदेशकों को सेबी और/या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा उन पर लगाए जाने वाले सभी दंड/जुर्माने से क्षतिपूर्ति करने और सुरक्षित रखने के लिए सहमत हूँ, जो कि मेरे द्वारा समय-समय पर संशोधित सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम 2015 और कंपनी द्वारा निर्धारित संहिता के उल्लंघन के परिणामस्वरूप लगाया जा सकता है।

दिनांक:

हस्ताक्षर: _____

हस्ताक्षर: _____
(निकटतम रिश्तेदार)

नाम:

पदनाम:

कृपया *सम्पूर्ण* जानकारी प्रदान करें। अपूर्ण फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुपालन अधिकारी के उपयोग हेतु:

सीपीओ संख्या	आवेदन प्राप्ति की तिथि	अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन प्रदान किया गया (लेन-देन का प्रकार)	अनुमोदन प्रदान किया गया (शेयरों की संख्या)	पूर्व-मंजूरी की वैधता (दिन/माह/वर्ष)	अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर
			बिक्री/ खरीद			

पूर्व-मंजूरी आवेदन को मंजूरी देने वाले अनुपालन अधिकारी से अनुमोदन

दिनांक: _____

सेवा में:

विषय: कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन की पूर्व-मंजूरी

संदर्भ: कंपनी के शेयरों के लेन-देन की पूर्व मंजूरी (आपके नाम पर)/_____ के नाम पर (निकटतम रिश्तेदार) के लिए आपका दिनांक _____ का आवेदन।

कंपनी के शेयरों में आपके व्यापार की पूर्व-मंजूरी मांगने वाले आपके उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में, हम प्रस्तावित लेन-देन को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त लेन-देन इस अनुमोदन पत्र की प्राप्ति की तिथि से सात (7) ट्रेडिंग दिवसों के भीतर निष्पादित किया जाएगा, ऐसा न करने पर, प्रस्तावित लेनदेन के लिए पूर्व-मंजूरी मांगने वाला आवेदन निर्धारित प्रारूप में वचनबद्धता के साथ नए सिरे से किया जाएगा।

इसके अलावा, उपरोक्त आवेदन के अनुसार ट्रेडिंग का विवरण ट्रेडिंग के निष्पादन के दो कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त लेन-देन के बाद, आप उपरोक्त ट्रेडिंग की तिथि से अगले छह महीनों के दौरान किसी विपरीत लेन-देन में प्रवेश नहीं करेंगे।

धन्यवाद,

कृते वेदांता लिमिटेड

अनुपालन अधिकारी

अनुपालन अधिकारी द्वारा पूर्व-मंजूरी आवेदन को अस्वीकार करना

दिनांक: _____

दिनांक:

सेवा में:

विषय: पूर्व-मंजूरी आवेदन की अस्वीकृति

संदर्भ: कंपनी के शेयरों के लेन-देन की पूर्व मंजूरी (आपके नाम पर)/ _____ के नाम पर (निकटतम रिश्तेदार) के लिए आपका दिनांक _____ का आवेदन।

कंपनी के शेयरों के लेन-देन की पूर्व-मंजूरी के लिए उपर्युक्त आवेदन के संदर्भ में, हम निम्नलिखित कारणों से आवेदन को अस्वीकार करते हैं:

1. _____

2. _____

धन्यवाद,

कृते वेदांता लिमिटेड

अनुपालन अधिकारी

लेन-देन के प्रकटीकरण का प्रारूप

(कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन/डीलिंग के 2 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है)

नामित व्यक्ति का नाम	
पदनाम	
पैन	
ई-मेल आईडी	
संपर्क	
यदि ट्रेड निकटतम रिश्तेदार के नाम पर किया गया हो	
निकटतम रिश्तेदार का नाम	
रिश्ते का नाम	
पैन	
अनुमोदित पूर्व-मंजूरी का विवरण:	
लेन-देन का प्रकार, जिसके लिए पूर्व-मंजूरी मांगी गई थी	खरीद/बिक्री
शेयरों की संख्या, जिसके लिए पूर्व-मंजूरी आवेदन किया गया था	
पूर्व-मंजूरी प्रदान की गई (प्रतिभूतियों की संख्या और अनुमोदन की तिथि)	
निष्पादित लेन-देन का विवरण	
खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों की संख्या	
डीपी आईडी/ग्राहक आईडी/फोलियो नंबर	
लेन-देन की तिथि से पहले धारित प्रतिभूतियों की संख्या	
मूल्य जिस पर लेन-देन निष्पादित हुआ	
कारण, यदि लेन-देन निष्पादित नहीं किया गया या कम मात्रा के लिए निष्पादित किया गया	
अधिग्रहण/बिक्री के बाद धारित प्रतिभूतियों की कुल संख्या	

उपर्युक्त लेन-देन के संबंध में, मैं निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को 5 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखने तथा अनुपालन अधिकारी/सेबी के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ:

1. ब्रोकर का अनुबंध नोट।
2. ब्रोकर को/से भुगतान का प्रमाण।
3. बैंक पासबुक/स्टेटमेंट का अंश (डीमैट लेन-देन के मामले में प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।
4. डिलीवरी निर्देश पर्ची की प्रति (बिक्री लेनदेन के मामले में लागू)।

मैं उपरोक्त प्रतिभूतियों को कम से कम छह महीने की अवधि के लिए रखने के लिए सहमत हूँ। यदि उक्त अवधि के भीतर इन प्रतिभूतियों को बेचने की कोई तत्काल आवश्यकता है तो मैं आवश्यक अनुमोदन के लिए अनुपालन अधिकारी से संपर्क करूंगा/करूंगी। (खरीद/सदस्यता के मामले में लागू)।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही है और उपरोक्त लेन-देन को प्रभावी करने के लिए कंपनी की संहिता, सेबी विनियमों और/या लागू कानूनों/विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है।

.....
नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर

वार्षिक ट्रेडिंग योजना के लिए आवेदन

दिनांक: _____

सेवा में,
अनुपालन अधिकारी
वेदांता लिमिटेड

1. आवेदक का नाम: _____ पैन् _____
2. आज की तिथि तक कंपनी में धारित प्रतिभूतियों की संख्या:
3. अनुमोदन मांगा गया: स्वयं निकटतम रिश्तेदार
4. ट्रेडिंग योजना कुछ महीनों की अवधि के लिए होती है अर्थात _____ से प्रारंभ होकर _____ पर समाप्त होने वाली अवधि के लिए।
5. प्रस्तावित ट्रेड का विवरण:

क्र. सं.	लेन-देन की प्रकृति (बिक्री/खरीद)	लेन-देन की तिथि/लेन-देन की अवधि/अंतराल	ट्रेड का मूल्य/लेन-देन की गई प्रतिभूतियों की संख्या	शर्तें /टिप्पणियाँ

घोषणापत्र:

(क) मैं योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण से 6 माह की अवधि से पहले ट्रेडिंग शुरू नहीं करूंगा।

(ख) मेरे पास उसी अवधि के लिए ओवरलैपिंग ट्रेडिंग योजना नहीं है।

(ग) यदि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी है/जानकारी है, जिसे नीति में परिभाषित "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना" के रूप में माना जाता है तो इस योजना के निर्माण और अनुमोदन के समय लेकिन जिसे उक्त योजना में अनुमोदित समय-सारिणी के अनुसार व्यापार के समय सार्वजनिक नहीं किया जाता है, मैं इसके बारे में अनुपालन अधिकारी को सूचित करूंगा और ऐसी जानकारी सार्वजनिक होने तक कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन से पूरी तरह परहेज करूंगा;

(घ) मैंने कंपनी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इनसाइडर ट्रेडिंग नीति के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है;

(ड) मैंने मामले में पूर्ण और सही प्रकटन किया है।

(च) मैं, इस ट्रेडिंग योजना की स्वीकृत के बाद उसका पालन करने का वचन देता हूँ और इस योजना की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे घोषणापत्र/प्रकटीकरण प्रस्तुत करूंगा।

(छ) मैं इस ट्रेडिंग योजना का उपयोग बाजार के दुरुपयोग के साधन के रूप में नहीं करूंगा।

हस्ताक्षर:

दिनांक:

अनुपालन अधिकारी के उपयोग हेतु:

आवेदन प्राप्ति की तिथि	अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन संख्या	अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर

_____ से लेकर _____ तक की _____ महीनों की अवधि के लिए ट्रेडिंग योजना को मंजूरी दी गई।

स्टॉक एक्सचेंज को अधिसूचना _____

अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर: _____

फॉर्म ख

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015

[विनियमन 7 (1) (ख) को विनियमन 6 (2) के साथ पढ़ें - निदेशक / केएमपी / प्रमोटर बनने पर प्रकटीकरण]

कंपनी का नाम: वेदांता लिमिटेड

कंपनी का आईएसआईएन: INE205A01025

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति पर या सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर बनने पर तथा विनियमन 6(2) में उल्लिखित अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित प्रतिभूतियों का विवरण।

नाम, पैन, सीआईएन/डीआईएन एवं संपर्क के साथ पता	व्यक्ति की श्रेणी (प्रमोटर/ केएमपी / निदेशक/निकटतम रिश्तेदार/अन्य आदि)	"निदेशक/केएमपी की नियुक्ति की तिथि या प्रमोटर बनने की तिथि"	"प्रमोटर बनने/निदेशक/केएमपी की नियुक्ति के समय रखी गई प्रतिभूतियां"		शेयरधारिता का %
			प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)"	संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

टिप्पणी: "प्रतिभूति" का अर्थ सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के विनियमन 2(1) (i) के तहत परिभाषित किया जाएगा।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति या प्रमोटर बनने पर और विनियमन 6(2) में उल्लिखित अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा कंपनी के डेरिवेटिव में आयोजित ओपन इंटरैस्ट (ओआई) का विवरण

प्रमोटर बनने/निदेशक/केएमपी की नियुक्ति के समय आयोजित फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटेरेस्ट			प्रमोटर बनने/निदेशक/केएमपी की नियुक्ति के समय आयोजित विकल्प अनुबंधों का ओपन इंटेरेस्ट		
अनुबंध विनिर्देश	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	रुपए में अनुमानित मूल्य	अनुबंध विनिर्देश	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	रुपए में अनुमानित मूल्य
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

टिप्पणी: विकल्पों के मामले में, अनुमानित मूल्य की गणना विकल्पों के प्रीमियम और स्ट्राइक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

नाम एवं हस्ताक्षर

पदनाम:

दिनांक:

स्थान:

प्रारंभिक प्रकटीकरण प्रपत्र
(वेदांता लिमिटेड में शामिल होने के समय या नामित व्यक्ति के रूप में पदोन्नत होने के समय शेरधारिता का प्रारंभिक प्रकटीकरण)

1	नाम		
2	पैन (यदि पैन उपलब्ध न हो तो कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता)		
3	पदनाम		
4	स्थान		
5	संपर्क		
6	ई-मेल आईडी		
7	स्नातक का शिक्षण संस्थान		
8	पूर्व रोजगार का विवरण (पूर्व नियोक्ता का विवरण/ संगठन)		
9	घोषणा की तिथि		
10	कंपनी में धारित प्रतिभूतियों की संख्या का विवरण		
क.	नामित व्यक्ति द्वारा धारित		
	प्रतिभूतियों का संख्या	प्रतिभूति का प्रकार	फोलियो संख्या, यदि भौतिक रूप में हो:
			यदि डीमैट फॉर्म में रखा गया हो
			डीपी आईडी ग्राहक आईडी
ख.	निकटतम रिश्तेदार / व्यक्ति द्वारा धारित जिसके साथ नामित व्यक्ति भौतिक वित्तीय संबंध साझा करता है		
	निकटतम रिश्तेदार का नाम		
	रिश्ते का नाम		
	पैन (यदि पैन उपलब्ध न हो तो कानून द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता)		
	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रतिभूति का प्रकार	फोलियो संख्या, यदि भौतिक रूप में हो:
			यदि डीमैट फॉर्म में रखा गया हो
			डीपी आईडी ग्राहक आईडी

- निकटतम रिश्तेदार में पति या पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन और उनके बच्चे या पति या पत्नी शामिल हैं, जिनमें से कोई भी उन पर आर्थिक रूप से निर्भर है, या प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग से संबंधित निर्णय लेने में उनसे परामर्श करता है।
- भौतिक वित्तीय संबंध का अर्थ है, ऐसा संबंध जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता है, जैसे कि पिछले 12 महीनों के दौरान ऋण या उपहार के रूप में, जो ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर है, लेकिन ऐसे संबंध को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसमें भुगतान आर्म्स लेंथ लेन-देन पर आधारित है।

.....
हस्ताक्षर

फॉर्म ग
सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015
 [विनियम 7 (2) विनियम 6 (2) के साथ पठित - निरंतर प्रकटीकरण]

कंपनी का नाम: **वेदांता लिमिटेड**

कंपनी का आईएसआईएन: **INE205A01025**

किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर, कर्मचारी या निदेशक तथा विनियमन 6(2) में उल्लिखित अन्य ऐसे व्यक्तियों की प्रतिभूतियों की धारिता में परिवर्तन का विवरण।

नाम, पैन नंबर, सीआईएन/डीआईएन और संपर्क के साथ पता।	व्यक्ति की श्रेणी (प्रमोटर/केएमपी/निदेशक/निकटतम रिश्तेदार/अन्य आदि)	अर्जित/ निपटान की गई प्रतिभूतियां		अधिग्रहण/निपटान के बाद धारित प्रतिभूतियां				शेयरों के आवंटन, सूचना/ अधिग्रहण/ बिक्री की तिथि निर्दिष्ट करें		शेयरों के आवंटन, सूचना/अधिग्रहण/ बिक्री की तिथि निर्दिष्ट करें		कंपनी को सूचना देने की तिथि	अधिग्रहण का तरीका (बाजार खरीद/सार्वजनिक अधिकार/अधिमान्य प्रस्ताव/बाजार से बाहर/पारस्परिक हस्तांतरण आदि)।
		प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	शेयरधारिता की संख्या एवं प्रतिशत	सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या	मूल्य	लेन-देन का प्रकार (खरीद/बिक्री/ गिरवी/निरस्त/आह्वान)	सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	शेयरधारिता की संख्या एवं प्रतिशत	से	तक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

टिप्पणी: "प्रतिभूति" का अर्थ सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के विनियमन 2(1) (i) के तहत परिभाषित किया जाएगा।

किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर, कर्मचारी या निदेशक तथा विनियमन 6(2) में उल्लिखित अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा कंपनी के डेरिवेटिव में ट्रेडिंग का विवरण

अनुबंध के प्रकार	अनुबंध विनिर्देश	डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (अनुबंध, वायदा या विकल्प आदि का प्रकार निर्दिष्ट करें)				वह एक्सचेंज, जिस पर ट्रेडिंग निष्पादित की गई थी
		क्रय		विक्रय		
		अनुमानित मूल्य	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	अनुमानित मूल्य	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

नाम एवं पदनाम:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

स्थान:

वार्षिक प्रकटन का फॉर्म

(पिछले वर्ष हेतु मौजूदा वर्ष की 30 अप्रैल से पूर्व नामित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने हेतु)

1	नाम	
2	पैन (यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो कानून द्वारा प्राधिकृत अन्य आईडी)	
3	पदनाम	
4	स्थान	
5	संपर्क	
6	ई-मेल आईडी	
7	स्नातक का शिक्षण संस्थान	
8	पिछले रोजगार का विवरण (पिछले नियोक्ता/संगठन का नाम)	
9	घोषणा की तिथि	
10	कंपनी में धारित प्रतिभूतियों का विवरण	
	नामित व्यक्ति द्वारा धारित	
	प्रतिभूतियों का संख्या	प्रतिभूति का प्रकार
		फोलियो संख्या, यदि भौतिक रूप में हो:
		यदि डीमैट फॉर्म में रखा गया हो
		डीपी आईडी
		ग्राहक आईडी
	निकटतम रिश्तेदार / व्यक्ति द्वारा धारित जिसके साथ नामित व्यक्ति भौतिक वित्तीय संबंध साझा करता है	
	निकटतम रिश्तेदार का नाम	
	रिश्ते का नाम	

	पैन (यदि पैन उपलब्ध न हो तो कानून द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता)				
	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रतिभूति का प्रकार	फोलियो संख्या, यदि भौतिक रूप में हो:	यदि डीमैट फॉर्म में रखा गया हो	
				डीपी आईडी	ग्राहक आईडी

टिप्पणी:

- निकटतम रिश्तेदार में पति या पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन और उनके बच्चे या पति या पत्नी शामिल हैं, जिनमें से कोई भी उन पर आर्थिक रूप से निर्भर है, या प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग से संबंधित निर्णय लेने में उनसे परामर्श करता है।
- भौतिक वित्तीय संबंध का अर्थ है, ऐसा संबंध जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता है, जैसे कि पिछले 12 महीनों के दौरान ऋण या उपहार के रूप में, जो ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर है, लेकिन ऐसे संबंध को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसमें भुगतान आर्म्स लेंथ लेन-देन पर आधारित है।

.....

हस्ताक्षर

फॉर्म घ

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015
विनियमन 7(3) - कंपनी द्वारा चिह्नित अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा किए गए लेन-देन

कंपनी का नाम: वेदांता लिमिटेड

कंपनी का आईएसआईएन: INE205A01025

कंपनी द्वारा चिह्नित अन्य संबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग का विवरण

नाम, पैन नंबर, सीआईएन/डीआईएन और संपर्क के साथ पता।	व्यक्ति की श्रेणी (प्रमोटर/केएमपी/निदेशक/निकटतम रिश्तेदार/अन्य आदि)	अर्जित/ निपटान की गई प्रतिभूतियां		अधिग्रहण/निपटान के बाद धारित प्रतिभूतियां				शेयरों के आवंटन, सूचना/ अधिग्रहण/ बिक्री की तिथि निर्दिष्ट करें		शेयरों के आवंटन, सूचना/अधिग्रहण/बिक्री की तिथि निर्दिष्ट करें		कंपनी को सूचना देने की तिथि	अधिग्रहण का तरीका (बाजार खरीद/सार्वजनिक अधिकार/अधिमान्य प्रस्ताव/बाजार से बाहर/पारस्परिक हस्तांतरण आदि)।
		प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	शेयरधारिता की संख्या एवं प्रतिशत	सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या	मूल्य	लेन-देन का प्रकार (खरीद/बिक्री/गिरवी/निरस्त/आह्वान)	सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	शेयरधारिता की संख्या एवं प्रतिशत	से	तक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

टिप्पणी: "प्रतिभूति" का अर्थ सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के विनियमन 2(1) (i) के तहत परिभाषित किया जाएगा।

कंपनी द्वारा चिह्नित अन्य संबद्ध व्यक्ति द्वारा कंपनी के डेरिवेटिव में ट्रेडिंग का विवरण

डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (अनुबंध, वायदा या विकल्प आदि का प्रकार निर्दिष्ट करें)						वह एक्सचेंज, जहां ट्रेडिंग निष्पादित की गई थी
अनुबंध के प्रकार	अनुबंध विनिर्देश	क्रय		विक्रय		
		अनुमानित मूल्य	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	अनुमानित मूल्य	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

नाम:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

स्थान:

“संबद्ध”

संहिता के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति (एक व्यक्ति या एक कानूनी व्यक्ति, जैसे कि एक कंपनी) इनसाइडर के साथ "संबद्ध" है यदि, लेकिन केवल यदि, वह (स्वयं ऐसा नामित कर्मचारी नहीं है) है:

1. किसी इनसाइडर का निकटतम रिश्तेदार या;
2. सिवाय जहां संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो, एक निगमित निकाय, जिसमें नामित कर्मचारी किसी अन्य संबद्ध व्यक्ति के साथ इक्विटी शेयर पूंजी का कम से कम 10 प्रतिशत रखता हो या 10 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग या नियंत्रण करने का हकदार हो या व्यवहार में जहां उसके निर्देशों या निर्देशों का सामान्य रूप से पालन किया जाता हो या;
3. एक निगमित निकाय, जिसमें इनसाइडर या कोई ऐसा व्यक्ति जो अन्यथा जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, एक निदेशक या वरिष्ठ कार्यकारी हो जिसके पास उस निगमित निकाय के भविष्य के विकास और व्यावसायिक संभावनाओं को प्रभावित करने वाले प्रबंधन निर्णय लेने की शक्ति हो या;
4. किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, जिसके लाभार्थियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - इनसाइडर, उसका पति/उसकी पत्नी और निदेशक/कर्मचारी/सलाहकार का कोई भी बच्चा; या
 - कोई निगमित निकाय जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है या कोई ट्रस्ट, जिसकी शर्तें ट्रस्टियों को एक शक्ति प्रदान करती हैं, जिसका प्रयोग इनसाइडर, उसका पति/उसकी पत्नी, बच्चों या किसी ऐसे निगमित निकाय के लाभ के लिए किया जा सकता है या
5. उस इनसाइडर के भागीदार के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति;
6. किसी ऐसे व्यक्ति के साझेदार के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति जो:-
 - इनसाइडर का पति/पत्नी;
 - इनसाइडर का बच्चा;
 - वह निगमित निकाय, जिसके साथ वह इनसाइडर से संबद्ध है; या
 - उपरोक्त अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार के ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करने वाला व्यक्ति।

सेबी को यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध लीक के प्रतिवेदन करने का प्रारूप

सेवा में,

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड

प्लॉट संख्या. सी 4-ए, जी ब्लॉक,

बैंक ऑफ इंडिया के पास, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई - 400 051, महाराष्ट्र

संदर्भ.: स्क्रिप कोड

बी ए स ई - 500295

एनएसई - VEDL

महोदय / महोदया,

विषय: सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के विनियमन 9क (5) के अनुसार यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध लीक का प्रतिवेदन।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के विनियमन 9क (5) के अनुसार, हम कंपनी की अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के वास्तविक या संदिग्ध लीक का प्रतिवेदन निम्नानुसार हैं:

अपराधी का नाम, यदि ज्ञात हो	
संगठन का नाम	
पदनाम (कर्मचारी, इनसाइडर, नामित व्यक्ति या अन्य)	
सूचना की प्रकृति	
क्या कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई शुरू की गई है? यदि हां, तो उसका विवरण दें।	हां/ नहीं
अन्य कोई जानकारी	

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बातों को अपने रिकार्ड में दर्ज कर लें।

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते वेदांता लिमिटेड

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी